# उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कार्यक्रमों के द्वारा गरीबों को भूमि आवंटन : एक क्षेत्रीय अध्ययन

प्रताप सिंह गढ़िया

सितम्बर, 2009

गिरि विकास अध्ययन संस्थान
सेक्टर-ओ, अलीगंज, लखनऊ-226024

# उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कार्यक्रमों के द्वारा गरीबों को भूमि आवंटन : एक क्षेत्रीय अध्ययन

*डा0 प्रताप सिंह गढ़िया

## 1. भूमिका :

यह सर्वविदित है कि भूख व गरीबी निवारण के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसमें सीमान्त व लघु कृषकों की बहुलता है, के विरूद्ध लड़ने के लिये भूमि सुधार एक कारगर हथियार हो सकता है। भूमि सुधार केवल भूमि के आवंटन तक ही सीमित नहीं है वरन् भूमि उपयोग के संरक्षण के उपाय, भूमि प्रबन्ध और भू क्षरण को रोकने के उपायों को इसमें सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। अतः बढ़ रही जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना एक विकल्प बचा हैं। कृषि क्षेत्र में दो आधारभूत सिद्धान्त पहला तकनीकी विकास व दूसरा संस्थागत सुधार के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी आधार में उत्तम बीज, खाद, पौध संरक्षण, खेती के अच्छे व उच्च तकनीक के औजार और सिंचाई आते है। जबकि संस्थागत सुधार में भूमि जोतने वाले को भूमि आवंटन सम्मिलित है, इसमें भूमि पर अधिकार का नियम व समाज के कमजोर वर्ग को भूमि का आवंटन करना है जो कार्य सरकारी प्रयासों से सम्भव हो सकता है। कुल मिलाकर भूमि सुधार की मुख्य नीति कृषि उत्पादों की उत्पादकता को बढ़ाकर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आय व रोजगार में वृद्धि करना है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में बढ़ रही आबादी व बेरोजगारों को खपाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सरकार का ध्यान भूमि सुधार की ओर आकर्षित हुआ और सर्वप्रथम कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पन्त के द्वारा कृषि के पुर्ननिर्माण हेतु सन् 1950 में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार कानून (जेड.ए.एल.आर.ए.) को लागू किया इसी कानून के साथ–2 रामपुर ठेकेदारी व पट्टेदारी कानून 1953 और कुमायूँ भूमि कानून 1954 को बनाया गया। यद्यपि तीन तरह के कानून बने लेकिन भूमि के पुर्नवितरण में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया।

भूमि जोतों के पुर्नवितरण में अपेक्षित सुधार न आ पाने के कारण उत्तर प्रदेश मे सन् 1960 में भूमि हदबन्दी (सीलिंग) कानून बनाया गया। जिसमें भूमि जोत सीमा 40 एकड़ रखी गयी थी।

* संकाय सदस्य गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

लेखक गिरि विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह का आभारी है, जिन्होंने इस अध्ययन को करने व सुझाव देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भूमि हदबन्दी कानून का मुख्य उद्देश्य भूमि की उच्च सीमा को निर्धारित कर बड़े कृषकों से जो अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी उसको भूमिहीनों व जिनके पास कम भूमि है उनमें इस अतिरिक्त भूमि का आवंटन करना था। सन् 1960 के भूमि हदबन्दी कानून के अनुसार बड़े जमींदार/कृषकों के परिवार की परिभाषा विस्तृत व अस्पष्ट थी क्योंकि परिवार में नाते रिश्तेदारों को भी सम्मिलित कर लिया गया था इसके साथ-2 इस कानून के अर्न्तगत राज्य सरकार की भूमि, उद्योगों के लिय प्रयोग की जा रही भूमि, कब्रिस्तान व श्मशान घाट की भूमि, चाय, काफी व रबर उत्पादन की जा रही भूमि, धमार्थ व वक्फ की भूमि, मुर्गीपालन व डेयरी उद्योग वाली भूमि, गौशाला, खाद एकत्रण करने की जगह की भूमि, खलिहान तथा खेतों में जाने के लिये बने रास्तों की भूमि को भूमि हदबन्दी कानून से अलग रखा गया था।

सन् 1960 का भूमि हदबन्दी कानून अपने उद्देश्यों में विफल रहने के कारण सन् 1973 में इस कानून में संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार 5 लोगों के परिवार के लिये अच्छी भूमि जोत की सीमा 7.3 हैक्टेयर की गयी और परिवार में प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये 2 हैक्टेयर की सीमा रखी गयी जबकि असिंचित भूमि की जोत सीमा 10.95-18.25 हैक्टेयर रखी गयी। यद्यपि भूमि हदबन्दी कानून से जोत सीमा में कमी आयी लेकिन सन् 1960 में बने भूमि हदबन्दी कानून व सन् 1973 में उसमें हुए संशोधन तक ग्रामीण क्षेत्र में बड़े कृषक जागरूक हो गये और उन्होंने हदबन्दी सीमा से अतिरिक्त भूमि को अपने नाते रिश्तेदारों के नाम कर दिया और एक सीमा तक भूमि हदबन्दी कानून को विफल कर दिया।

आजादी के बाद पचास के दशक में देश के सभी राज्यों में जमींदारी व मध्यस्थों का उन्मूलन, जोतने वाले को खेतों का मालिकाना हक, काश्तकारी सुधार, भूमि जोत हदबन्दी (लैण्ड सीलिंग) चकबन्दी व सहकारी खेती जैसे भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। भूमि सुधार के उपरोक्त कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र में जो अतिरिक्त (सरप्लस) भूमि उपलब्ध हुई है उसको ग्रामीण भूमिहीनों या जिनके पास बहुत कम जमीन है वितरित किया है। सीलिंग, चकबन्दी के अतिरिक्त ग्राम समाज में जैसे चारागाह, बन्जर, खलिहान आदि की शेष बची भूमि को ग्रामीण भूमिहीनों को मकान बनाने व कृषि कार्यों के लिये वितरित किया जाता है।

## 2. अध्ययन का उद्देश्य :

इस शोध का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया, भूमि आवंटन का उद्देश्य, आवंटित भूमि में भौतिक कब्जे की स्थिति व इसका उपयोग तथा भूमि आवंटन के परिमाणात्मक व गुणात्मक प्रभावों को देखना है। इसके साथ-2 भूमि आवंटन प्रक्रिया को किस तरह अधिक सुगम बनाया जाय इसके सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के सुझावों को प्रस्तुत करना है।

## 3. जिलों व गांवों के चयन का आधार व नमूना आकार :

सर्वप्रथम राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से सीलिंग व ग्राम समाज की आवंटित भूमि के आंकड़े प्राप्त किये गये। आंकड़ों का विश्लेषण क्षेत्रवार किया गया और जिस क्षेत्र के जिले में सबसे अधिक भूमि का आवंटन हुआ है उसका चयन किया गया। इस प्रकार पूर्वी क्षेत्र से सुल्तानपुर, पश्चिमी क्षेत्र से एटा, मध्य क्षेत्र से हरदोई बुन्देलखण्ड से झांसी एवं तराई क्षेत्र से लखीमपुर खीरी जिले का चयन किया गया।

जिलों के चयन के बाद सम्बन्धित जिलों के अधिकारियों की सहायता से जिले के जिस तहसील में सबसे अधिक भू आवंटन हुआ है उनका चयन किया गया। तहसीलों के चयन की प्रक्रिया की तरह प्रत्येक तहसील से दो–दो गांवों का चयन किया गया और प्रत्येक गांव से कम से कम 25 लाभार्थियों का चयन किया गया। कुल मिलाकर हमने 5 जिले, 5 तहसील, 10 गांव व 279 लाभार्थियों का चयन किया। हमारे चयनित प्रतिदर्श का क्षेत्र व आकार निम्न तालिका में दिखाया गया है।

**सर्वेक्षण के प्रतिदर्श का क्षेत्र व आकार**

| क्र सं. | जिला | तहसील/विकास खण्ड | गांव | आवंटियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पुरूष | स्त्री | कुल |
| 1. | लखीमपुर | <u>लखीमपुर</u><br>1. लखीमपुर<br>2. फूल बेहा | 1. सैदापुर देवकली<br>2. सफीपुर | 28<br>25 | 1<br>2 | 29<br>27 |
| 2. | हरदोई | <u>सण्डीला</u><br>1. सण्डीला<br>2. भरावन | 1. बेगमगंज<br>2. सहगवां | 29<br>26 | 1<br>1 | 30<br>27 |
| 3. | सुल्तानपुर | <u>सदर</u><br>1. धनपतगंज<br>2. कुड़ेभार | 1. जज्जौर<br>2. सैफुलागंज | 28<br>22 | 2<br>3 | 30<br>25 |
| 4. | एटा | <u>सदर</u><br>1. शीलतपुर | 1. पुरा<br>2. किलरमऊ | 30<br>30 | –<br>– | 30<br>30 |
| 5. | झांसी | <u>सदर</u><br>1. बबीना | 1. खैलार<br>2. सैयर | 24<br>23 | 2<br>2 | 25<br>25 |
| **कुल** | **जिले–5** | **तहसील–5 विकास खण्ड.8** | **गांव–10** | **265** | **14** | **279** |

## 4. उत्तर प्रदेश में चयनित जिलों व गांवों में भूमि आवंटन की स्थिति :

तालिका संख्या–1 में उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में ग्राम समाज की भूमि का वर्ष 1975–76 से मार्च 2008 तक के क्रमिक आवंटन को दर्शाया गया है। सामान्यतः गांव में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि का वितरण गांव में गठित भूमि प्रबन्ध कमेटी के प्रस्ताव पर सम्बन्धित तहसील के परगना अधिकारी (एस.डी.एम.) द्वारा गांव के भूमिहीनों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों, गांव के गरीब वर्गों, कृषि श्रमिकों व गांव में बसे शिल्पकारों व दस्तकारों को कृषि व आवास बनाने के लिये भूमि का आवंटन किया जाता है। इस योजना के तहत गांव के गरीब लोगों को जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत न्यूनतम 1.26 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि देने का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा जिस ग्रामवासी के पास आवास उपलब्ध नहीं उनको 100–150 वर्ग गज भूमि देने का प्राविधान हैं। तालिका–1 को देखने से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल आवंटित भूमि के लाभार्थियों में लगभग 56.0 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 0.08 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, लगभग 26.0 प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा लगभग 16.0 प्रतिशत लाभार्थी अन्य जाति के हैं। अन्य जाति में सैनिकों को भी सम्मिलित किया गया है। यदि हम जिलेवार देखें तो सबसे अधिक भूमि का आवंटन अनुसूचित जाति के लोगों को किया गया है जबकि दूसरे स्थान पर पिछड़ी जातियां है जिनको अधिक भूमि का आवंटन हुआ है। जहां तक आवंटित भूमि में कब्जे का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश के सभी आवंटियों के लगभग 0.5 प्रतिशत से कम लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है। आवंटित भूमि में कब्जा दिलाने में प्रदेश सरकार सफल रही है।

**तालिका संख्या–1: उत्तर प्रदेश व चयनित जिलों में ग्राम समाज की भूमि का वर्ष 1975–76 से मार्च 2008 तक क्रमिक आवंटन**

| जिला/विवरण | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | पिछड़ी जाति | | अन्य जाति | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं0 | क्षेत्रफल | सं0 | क्षेत्रफल | सं0 | क्षेत्रफल | सं0 | क्षेत्रफल | सं0 | क्षेत्रफल |
| **लखीमपुर %** | 44871<br>37.66 | 21040.98<br>52.54 | 413<br>0.35 | 319.68<br>0.80 | 52775<br>44.30 | 9363.22<br>23.38 | 21081<br>17.69 | 9324.17<br>23.28 | 119140<br>100 | 40048.06<br>100.00 |
| आवंटन | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| कब्जा | 98.44 | 98.56 | 100.00 | 100.00 | 98.55 | 9779.56 | 100.00 | 100.00 | 98.77 | 2362.33 |
| अवशेष | 1.56 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.27 |
| **हरदोई %** | 80955<br>63.17 | 27747.39<br>56.63 | -<br>0.00 | -<br>0.00 | 32576<br>25.42 | 14536.47<br>29.67 | 14629<br>11.41 | 6716.67<br>13.71 | 128160<br>100.00 | 49000.48<br>100.00 |
| आवंटन | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| कब्जा | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 99.13 | 100.00 | 99.90 | 100.00 |
| अवशेष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | 0.00 | 0.10 | 0.52 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सुल्तानपुर %** | 75997<br>61.92 | 14108.79<br>62.77 | -<br>0.00 | -<br>0.00 | 27963<br>22.78 | 4354.72<br>19.25 | 18773<br>15.29 | 4067.34<br>17.98 | 122733<br>100.00 | 22530.87<br>100.00 |
| आवंटन | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| कब्जा | 99.93 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.96 | 99.59 |
| अवशेष | 0.07 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.41 |
| **ऐटा %** | 42681<br>50.38 | 23643.17<br>53.60 | -<br>0.00 | -<br>0.00 | 24810<br>29.29 | 11744.46<br>26.63 | 17219<br>20.33 | 8722.57<br>19.77 | 84710<br>100.00 | 44110.21<br>100.00 |
| आवंटन | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| कब्जा | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| अवशेष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **झाँसी %** | 27067<br>55.14 | 23573.50<br>68.58 | -<br>0.00 | -<br>0.00 | 16968<br>34.56 | 8234.69<br>23.96 | 5057<br>10.30 | 2665.73<br>7.46 | 49092<br>100 | 34373.92<br>100.00 |
| आवंटन | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| कब्जा | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.93 | 100.00 | 99.88 | 99.92 | 99.96 | 99.99 |
| अवशेष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| **उत्तर प्रदेश %** | 2076874<br>56.39 | 643513.60<br>55.07 | 3059<br>0.08 | 1866.11<br>0.16 | 946216<br>25.69 | 335488.96<br>28.71 | 656646<br>17.83 | 187607.62<br>16.06 | 3682795<br>100 | 1168496.29<br>100.00 |
| आवंटन | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| कब्जा | 99.92 | 99.92 | 100.00 | 100.00 | 99.77 | 99.90 | 99.90 | 99.87 | 99.88 | 99.91 |
| अवशेष | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |

स्रोत : राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

तालिका संख्या–2 में उत्तर प्रदेश व चयनित जिलों में संशोधित सीलिंग अधिनियम से उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के आवंटन की स्थिति को दर्शाया गया है। भूमि सीलिंग कानून में सन् 1973 में हुए संशोधनों के बाद सरकार ने भूमि जोत सीमा 7.3 हैक्टेयर सिंचित दो फसल, 10.95 हैक्टेयर सिंचित एक फसली तथा 18.25 हैक्टेयर 'असिंचित भूमि रखी है, जो अतिरिक्त भूमि सरकार को इस अधिनियम से प्राप्त होती है उसको ग्रामीण भूमिहीनों या जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है उनमें वितरित कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सीलिंग से उपलब्ध कुल भूमि का लगभग 69.0 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति, लगभग 31.0 प्रतिशत भूमि अन्य जातियों तथा 1.0 प्रतिशत से भी कम भूमि अनुसूचित जनजाति के लोगों में वितरित की गयी है। लगभग यही स्थिति हमारे चयनित जिलों की भी है।

यह सोचनीय विषय है कि भूमि सीलिंग एक्ट के तहत कुल 83853 मुकदमें हुए जिसमें से कुछ मुकदमें खारिज हो गये और 50334 मुकदमों का निस्तारण मार्च 2008 तक किया जा चुका है।

जबकि अभी 421 वादों का निस्तारण होना है व 13243 हैक्टेयर भूमि का बन्दोबस्त करना शेष है। सौभाग्य से हमारे चयनित जिलों हरदोई व झांसी में भूमि सीलिंग से सम्बन्धित सभी वादों का निस्तारण हो गया है अन्य जिलों में भी वादों का निस्तारण काफी कम रह गया है।

**तालिका संख्या–2: उत्तर प्रदेश व चयनित जिलों में संषोधित सीलिंग अधिनियम से उपलब्ध अतिरिक्त भूमि की आवंटन की स्थिति (मार्च 2008 तक)**

| जिला / विवरण | अनु0 जाति | | अनु0 जनजाति | | अन्य जाति / सैनिक | | कुल योग संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | क्षेत्रफल | संख्या | क्षेत्रफल | संख्या | क्षेत्रफल | संख्या | क्षेत्रफल |
| **1. लखीमपुर** | | | | | | | | |
| कुल खातेदारों की संख्या जिनके विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही की गयी | | | | | | | 2695 | 57585 |
| कब्जे में ली गई भूमि में से निर्बल व्यक्तियों को वितरित की गई भूमि | 13062 (65.33) | 21472 (70.12) | 135 (0.68) | 375 (1.22) | 6798 (33.99) | 8778 (28.68) | 19995 (100.0) | 30625 (100.0) |
| नियत प्राधिकरी न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त कुल वाद | | | | | | | 3860 | 69284 |
| नियत प्राधिकारी न्यायालय से निस्तारित वाद | | | | | | | 3822 | 68514 |
| अवशेष वादों की कुल संख्या | | | | | | | 77 | 1637 |
| कुल अवशेष भूमि का क्षेत्रफल जिसका बन्दोबस्त शेष है। | | | | | | | | 1535 |
| **2. हरदोई** | | | | | | | | |
| कुल खातेदारों की संख्या जिनके विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही की गयी | | | | | | | 1142 | 2701 |
| कब्जे में ली गई भूमि में से निर्बल व्यक्तियों को वितरित की गई भूमि | 5481 (78.0) | 4065 (79.83) | 0 | 0 | 1546 (22.00) | 1027 (20.17) | 7027 (100.0) | 5092 (100.0) |
| नियत प्राधिकरी न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त कुल वाद | | | | | | | 1773 | 9863 |
| नियत प्राधिकारी न्यायालय से निस्तारित वाद | | | | | | | 903 | 90331 |
| अवशेष वादों की कुल संख्या | | | | | | | 0 | 0 |
| कुल अवशेष भूमि का क्षेत्रफल जिसका बन्दोबस्त शेष है। | | | | | | | | 488 |

| 3. **सुल्तानपुर** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल खातेदारों की संख्या जिनके विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही की गयी | | | | | | | 627 | 4803 |
| कब्जे में ली गई भूमि में से निर्बल व्यक्तियों को वितरित की गई भूमि | 3766 (72.44) | 2826.3 (73.89) | 0 | 0 | 1433 (27.56) | 998.36 (26.11) | 5199 (100.0) | 3824.66 (100.0) |
| नियत प्राधिकरी न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त कुल वाद | | | | | | | 936 | 6645 |
| नियत प्राधिकारी न्यायालय से निस्तारित वाद | | | | | | | 376 | 4061 |
| अवशेष वादों की कुल संख्या | | | | | | | 7 | 21 |
| कुल अवशेष भूमि का क्षेत्रफल जिसका बन्दोबस्त शेष है। | | | | | | | | अनुलब्ध |
| 4. **एटा** | | | | | | | | |
| कुल खातेदारों की संख्या जिनके विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही की गयी | | | | | | | | अनुलब्ध |
| कब्जे में ली गई भूमि में से निर्बल व्यक्तियों को वितरित की गई भूमि | अनुलब्ध | अनुलब्ध | अनुलब्ध | अनुलब्ध | अनुलब्ध | अनुलब्ध | अनुलब्ध | अनुलब्ध |
| नियत प्राधिकरी न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त कुल वाद | | | | | | | अनुलब्ध | अनुलब्ध |
| नियत प्राधिकारी न्यायालय से निस्तारित वाद | | | | | | | अनुलब्ध | अनुलब्ध |
| अवशेष वादों की कुल संख्या | | | | | | | अनुलब्ध | अनुलब्ध |
| कुल अवशेष भूमि का क्षेत्रफल जिसका बन्दोबस्त शेष है। | | | | | | | अनुलब्ध | अनुलब्ध |
| 5. **झाँसी** | | | | | | | | |
| कुल खातेदारों की संख्या जिनके विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही की गयी | | | | | | | 853 | 1027 |
| कब्जे में ली गई भूमि में से निर्बल व्यक्तियों को वितरित की गई भूमि | 2525 (72.72) | 2887.41 (73.08) | | 0 | 947 (27.28) | 1063.4 (26.92) | 3472 (100.0) | 3951.81 (100.0) |
| नियत प्राधिकरी न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त कुल वाद | | | 0 | | | | 1337 | 3915 |
| नियत प्राधिकारी न्यायालय से निस्तारित वाद | | | | | | | 966 | 9814 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवशेष वादों की कुल संख्या | | | | | | | 0 | 0 |
| कुल अवशेष भूमि का क्षेत्रफल जिसका बन्दोबस्त शेष है। | | | | | | | | 167 |
| **6. उत्तर प्रदेश** | | | | | | | | |
| कुल खातेदारों की संख्या जिनके विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही की गयी | | | | | | | 48466* | 793474 |
| कब्जे में ली गई भूमि में से निर्बल व्यक्तियों को वितरित की गई भूमि | 199453 (68.92) | 168443 (68.90) | 505 (0.17) | 985.4 (0.40) | 89434 (30.92) | 75095 (30.91) | 289392 (100.0) | 244524 (100.0) |
| नियत प्राधिकरी न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त कुल वाद | | | | | | | 83852 | 1024102 |
| नियत प्राधिकारी न्यायालय से निस्तारित वाद | | | | | | | 50334 | 504154 |
| अवशेष वादों की कुल संख्या | | | | | | | 421 | 1516 |
| कुल अवशेष भूमि का क्षेत्रफल जिसका बन्दोबस्त शेष है। | | | | | | | | 13243 |

स्रोत : राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

तालिका संख्या–3 में चयनित गॉवों में भूमि आवंटन के लाभार्थी, प्रति लाभार्थी भूमि आवंटन, आवंटित भूमि पर भौतिक कब्जा न पा सके आवंटी, आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि का विक्रय तथा अपात्र व्यक्तियों व फर्जी नाम से किये गये भूमि आवंटन को दर्शाया गया है। हमारे चयनित गांवों में कुल 933 लोगों को भू–आवंटन किया गया है जिनमें से सबसे अधिक लाभार्थी पिछड़ी जाति (62. 27 प्रतिशत) के तथा दूसरे स्थान पर अनुसूचित जाति (34.30) के लाभार्थी हैं जबकि अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के लाभार्थी 3.0 प्रतिशत से भी कम हैं। जहां तक औसत भूमि के आवंटन का प्रश्न है अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति को एक एकड़ से अधिक तथा अनुसूचित जनजाति को 3 एकड़ से अधिक भूमि का आवंटन हुआ है जबकि सामान्य जाति के लोगों को 1.0 एकड़ से कम भूमि का आवंटन हुआ है। यदि हम जिलेवार देखें तो हरदोई व सुल्तानपुर में सभी जातियों को एक एकड़ से कम तथा अन्य जिलों में एक एकड़ से अधिक भूमि का आवंटन हुआ है।

यह सोचनीय विषय है कि हमारे 21 (2.25 प्रतिशत) आवंटी दबंगों व सरकारी सहायता व सहयोग न मिलने से आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं पा सके हैं। हमारे चयनित गांवों के 51(5.47 प्रतिशत) लाभार्थियों ने आवंटित भूमि को बेच दिया है। लेखपाल द्वारा प्रदत्त सूची से ज्ञात हुआ है कि लेखपालों द्वारा फर्जी नाम से व अपात्र व्यक्तियों को प्रधान की सहमति से भूमि आवंटन कर दिया जाता है और बाद में उस जमीन को बेच दिया जाता है।

## तालिका संख्या : 3 चयनित जिलों के गांवों में जातिवार भूमि आवंटन का विवरण

| क्र सं0 | जिला / जाति | भूमि आवंटन | | | भौतिक कब्जा प्राप्त न किये | | आवंटी द्वारा बेची गयी भूमि | | अपात्र / फर्जी नाम से आवंटन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लाभार्थी | क्षेत्रफल (एकड़) | औसत क्षेत्रफल | लाभार्थी | क्षेत्रफल (एकड़) | लाभार्थी | क्षेत्रफल (एकड़) | लाभार्थी | क्षेत्रफल (एकड़) |
| 1. | लखीमपुर | | | | | | | | | |
| | अनु0 जाति | 72 | 142.09 | 1.97 | 1 | .60 | 9 | 15.13 | 1 | 0.468 |
| | अनु0जनजाति | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | पिछड़ी जाति | 23 | 21.67 | 1.20 | - | - | 4 | 4.60 | - | - |
| | सामान्य | 2 | 1.62 | 0.81 | - | - | - | - | - | - |
| | कुल | 97 | 171.38 | 1.77 | 1 | .60 | 13 | 19.73 | 1 | 0.468 |
| 2. | हरदोई | | | | | | | | | |
| | अनु0 जाति | 33 | 28.71 | 0.87 | - | - | 2 | 1.72 | - | - |
| | अनु0 जनजाति | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | पिछड़ी जाति | 63 | 61.03 | 0.97 | - | - | 4 | 5.91 | - | - |
| | सामान्य | 2 | 1.62 | 0.81 | - | - | - | - | - | - |
| | कुल | 98 | 91.36 | 0.93 | - | - | 6 | 7.63 | - | - |
| 3. | सुल्तानपुर | | | | | | | | | |
| | अनु0 जाति | 38 | 36.63 | 0.96 | 1 | 4.48 | 11 | 12.10 | 2 | 0.74 |
| | अनु0 जनजाति | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | पिछड़ी जाति | 112 | 64.17 | 0.57 | 5 | 1.88 | 14 | 9.51 | 20 | 6.62 |
| | सामान्य | 6 | 2.07 | 0.35 | - | - | - | - | 6 | 2.07 |
| | कुल | 156 | 102.87 | 0.66 | 6 | 6.36 | 25 | 21.61 | 28 | 9.43 |
| 4. | एटा | | | | | | | | | |
| | अनु0 जाति | 135 | 187.40 | 1.39 | 3 | 6.30 | - | - | - | - |
| | अनुसू जनजाति | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | पिछड़ी जाति | 337 | 352.75 | 1.05 | 5 | 13.50 | 1 | 0.50 | - | - |
| | सामान्य | 5 | 6.80 | 1.36 | - | - | - | - | - | - |
| | कुल | 477 | 546.95 | 1.15 | 8 | 19.80 | 1 | 0.50 | - | - |
| 5. | झांसी | | | | | | | | | |
| | अनु0 जाति | 42 | 118.13 | 2.81 | 3 | 5.20 | 2 | 4.5 | - | - |
| | अनु0जनजाति | 17 | 58.57 | 3.45 | - | - | - | - | - | - |
| | पिछड़ी जाति | 46 | 121.33 | 2.64 | 3 | 6.0 | 4 | 16.39 | - | - |
| | सामान्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कुल | 105 | 298.03 | 2.81 | 6 | 11.20 | 6 | 20.89 | - | - |
| 6. | कुल | | | | | | | | | |
| | अनु0 जाति | 320 | 512.96 | 1.60 | 8 | 16.58 | 24 | 33.45 | 3 | 1.208 |
| | अनु0जनजाति | 17 | 58.57 | 3.45 | - | - | - | - | - | - |
| | पिछड़ी जाति | 581 | 620.95 | 1.07 | 13 | 21.38 | 27 | 36.91 | 20 | 6.62 |
| | सामान्य | 15 | 12.11 | 0.81 | - | - | - | - | 6 | 2.07 |
| | कुल | 933 | 1204.59 | 1.29 | 21 | 37.96 | 51 | 70.36 | 29 | 9.898 |

स्रोत : चयनित गांवों के लेखपालों द्वारा प्रदत्त सूची के आधार पर।

## 5. उत्तरदाताओं की सामाजिक व जनांककीय विशेषतायें :

तालिका संख्या–4 में उत्तरदाताओं की जाति, धर्म, आयु वर्ग तथा शैक्षिक स्तर को दर्शाया गया है। हमारे अध्ययन के अधिकतर उत्तरदाता अनुसूचित जाति (46.25 प्रतिशत) तथा पिछड़ी जाति (47.67 प्रतिशत) के हैं। अनुसूचित जनजाति के (3.95 प्रतिशत) उत्तरदाता सिर्फ जनपद झांसी के हैं। सामान्य जाति के 1.43 प्रतिशत उत्तरदाता केवल लखीमपुर, हरदोई व सुल्तानपुर जिले के है। हमारे सर्वेक्षण में लगभग 87.0 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू व लगभग 13.0 प्रतिशत मुस्लिम है। मुस्लिम उत्तरादाताओं की संख्या हरदोई में सबसे अधिक है।

### तालिका संख्या–4 उत्तरदाताओं की विशेषतायें

| क्र सं0 | विशेषतायें | लखीमपुर खीरी | हरदोई | सुलतानपुर | एटा | झांसी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उत्तरदाताओं की जाति | | | | | | |
| | अनुसूचित जाति | 46 (82.14) | 12 (21.05) | 22 (40.00) | 25 (41.67) | 26 (50.98) | 131(46.95) |
| | अनुसूचित जनजाति | - | - | - | - | 11 (21.57) | 11 (3.95) |
| | पिछड़ी जाति | 9 (16.07) | 43 (75.44) | 32 (58.18) | 35 (58.33) | 14 (27.45) | 133 (47.67) |
| | सामान्य जाति | 1(1.79) | 2 (3.51) | 1(1.82) | - | - | 4 (1.43) |
| | कुल | 56(100.0) | 57 (100.0) | 55 (100.0) | 60 (100.0) | 51 (100.00) | 279(100.0) |
| 2. | उत्तरदाताओं का धर्म | | | | | | |
| | हिन्दू | 52 (92.86) | 40 (70.18) | 43 (78.48) | 57(95.00) | 50(98.04) | 242(86.74) |
| | मुस्लिम | 4 (7.14) | 17 (29.82) | 12 (21.82) | 3 (5.00) | 1(1.96) | 37(13.26) |
| 3. | उत्तरदाताओं का आयु वर्ग | | | | | | |
| | 25 से कम | 1 (1.79) | - | 2 (3.64) | 1(1.67) | 2 (3.92) | 6 (2.15) |
| | 25–45 | 20 (35.7) | 27 (47.37) | 14 (25.45) | 31(51.66) | 24 (47.06) | 116 (41.58) |
| | 45–60 | 16 (28.57) | 21 (36.84) | 17 (30.91) | 25(41.67) | 15 (29.41) | 94 (33.69) |
| | 60 से अधिक | 19 (33.93) | 9 (15.79) | 22 (40.00) | 3 (5.00) | 10 (19.61) | 63 (22.58) |
| 4. | उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर | | | | | | |
| | अशिक्षित | 36 (64.29) | 33 (57.89) | 35 (63.64) | 14 (23.33) | 28 (54.90) | 146(52.33) |
| | साक्षर | 5 (8.93) | 4 (7.03) | 5 (9.09) | 6 (10.00) | 6 (11.76) | 26 (9.32) |
| | उच्च प्राथमिक तक | 15 (26.78) | 16 (28.07) | 15 (27.27) | 24 (40.00) | 12 (23.53) | 82 (29.39) |
| | माध्यमिक | - | 3 (5.26) | - | 14 (23.33) | 4 (7.85) | 21 (7.53) |
| | स्नातक / परास्नातक | - | 1 (1.75) | - | 2 (3.34) | 1 (1.96) | 4 (1.43) |

| 5. | परिवार का आकार | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरूष | 106 | 112 | 139 | 121 | 93 | 571 |
| | स्त्री | 97 | 92 | 111 | 106 | 82 | 488 |
| | लड़के | 80 | 92 | 99 | 85 | 68 | 424 |
| | लड़कियाँ | 80 | 69 | 74 | 90 | 61 | 374 |
| | कुल | 363 | 365 | 423 | 402 | 304 | 1857 |
| | परिवार का औसत आकार | 6.48 | 6.40 | 7.69 | 6.70 | 5.96 | 6.66 |

हमारे लगभग 42.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 25–45 वर्ष के बीच है जबकि लगभग 56.0 प्रतिशत उत्तरदाता 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं। कुल उत्तरदाताओं में लगभग 52.0 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं जबकि लगभग 29.0 प्रतिशत उत्तरदाता कक्षा 8 तक पढ़े हैं। लगभग 9.0 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक व उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है। हमारे अध्ययन के सभी परिवारों का औसत आकार 6.66 व्यक्ति है और लिंगानुपात 866 है।

## 6. उत्तरदाताओं का व्यवसाय व पारिवारिक आय :

तालिका संख्या–5 में उत्तरदाताओं के मुख्य व सहायक व्यवसाय को दर्शाया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि कृषि व पशुपालन से पूर्ण रोजगार व अधिक आय प्राप्त न होने के कारण लगभग 43.0 प्रतिशत उत्तरदाता गैर कृषि मजदूरी को अपना मुख्य व्यवसाय बनाये हैं जबकि कृषि व पशुपालन को लगभग 41.0 प्रतिशत लोग अपना मुख्य व्यवसाय बनाये हुए हैं। सर्वेक्षण में यह भी ज्ञात हुआ है कि जो लोग मजदूरी को अपना मुख्य व्यवसाय बनाये है उनका सहायक व्यवसाय कृषि है। इसी के उलट कृषि को मुख्य व्यवसाय बनाये उत्तरदाताओं का सहायक व्यवसाय कृषि श्रमिक व गैर कृषि श्रमिक रहा है। स्वरोजगार व नौकरी को लगभग 13.0 प्रतिशत उत्तरदाता अपना मुख्य व्यवसाय बनाये हैं। यदि हम जिलेवार देखें तो सुल्तानपुर व झांसी जिले को छोड़कर शेष जिलों के उत्तरदाताओं का मुख्य व्यवसाय कृषि है जबकि इन जिलों के लगभग 52–53 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि मजदूरी है।

तालिका संख्या–6 में उत्तरदाताओं के प्रति परिवार के आय के विभिन्न स्त्रोतों को दर्शाया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि हमारे चयनित परिवारों के आय का मुख्य स्त्रोत लोगों का गैर कृषि (37.12 प्रतिशत) श्रमिक के रूप में विभिन्न निर्माण कार्यों से मजदूरी प्राप्त करना रहा है। जनपद

## तालिका संख्या–5 उत्तरदाताओं का मुख्य एवं सहायक व्यवसाय

| क्र सं0 | व्यवसाय | लखीमपुर खीरी | | हरदोई | | सुलतानपुर | | एटा | | झांसी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मुख्य | सहायक | मुख्य | सहायक | मुख्य | सहायक | मुख्य | सहायक | मुख्य | सहायक | मुख्य | सहायक |
| 1. | कृषि / पशुपालन | 34 (60.71) | 20 (38.46) | 31 (54.39) | 30 (57.69) | 4 (7.27) | 25 (48.08) | 43 (71.67) | 20 (33.33) | 2 (3.92) | 29 (60.42) | 114 (40.86) | 124 (46.97) |
| 2. | कृषि श्रमिक | 3 (5.36) | 12 (23.08 | - | 2 (3.85) | 8 (14.55) | 10 (19.23) | - | 9 (15.00) | - | 15 (31.25) | 11 (3.94) | 48 (18.18) |
| 3. | अकृषि श्रमिक | 18 (32.14) | 19 (36.54) | 14 (24.56) | 18 (34.62) | 29 (52.73) | 16 (30.77) | 15 (25.00) | 31 (51.67) | 43 (84.32) | 4 (8.33) | 119 (42.66) | 88 (33.33) |
| 4. | स्वरोजगार | - | 1 (1.92) | 11 (19.30) | 2 (3.84) | 11 (20.00) | 1 (1.92) | - | - | 3 (5.88) | - | 25 (8.96) | 4 (1.52) |
| 5. | नौकरी | 1 (1.79) | - | 1 (1.57) | - | 3 (5.45) | - | 2 (3.33) | - | 3 (5.88) | - | 10 (3.58) | - |
| | कुल | 56 (100.0) | 52 (100.0) | 57 (100.0) | 52 (100.0) | 55 (100.0) | 52 (100.0) | 60 (100.0) | 60 (100.0) | 51 (100.0) | 48 (100.0) | 279 (100.0) | 264 (100.0) |

## तालिका संख्या–6 विभिन्न स्रोतों से प्रति परिवार आय

| क्र सं0 | विशेषतायें | लखीमपुर खीरी | हरदोई | सुलतानपुर | एटा | झांसी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि (स्वयं की) | 3505 (16.2) | 6471 (23.57) | 4400 (13.90) | 5423 (25.11) | - | 5612 (19.62) |
| 2. | कृषि (आवंटित भूमि से) | 9949 (45.95) | 6953 (25.33) | 3894 (12.30) | 8221 (38.06) | 5123 (14.37) | 6588 (23.04) |
| 3. | कृषि श्रमिक | 2204 (10.18) | 196 (0.71) | 3124 (9.87) | 126 (0.58) | 1198 (3.36) | 1344 (4.70) |
| 4. | अकृषि श्रमिक | 5428 (25.07) | 6674 (24.31) | 10196 (32.20) | 7154 (33.12) | 25246 (70.82) | 10616 (37.12) |
| 5. | स्वरोजगार | 89 (0.41) | 3774 (13.74) | 5704 (18.01) | - | 608 (1.71) | 2024 (7.08) |
| 6. | नौकरी | 257 (1.19) | 1316 (4.79) | 2509 (7.92) | 410 (1.90) | 3331 (9.34) | 1512 (5.29) |
| 7. | पशुपालन | 152 (0.70) | 2074 (7.55) | 827 (2.61) | 266 (1.23) | - | 674 (2.36) |
| 8. | अन्य(जाति व्यवसाय / पेंशन | 64 (0.30) | - | 1011 (3.19) | - | 141 (0.40) | 228 (0.80) |
| 9. | कुल आय | 21648 (100.0) | 27458 (100.00) | 31665 (100.00) | 21600 (100.00) | 35647 (100.00) | 28598 (100.00) |

झांसी के प्रति परिवार को लगभग 71.0 प्रतिशत आय गैर कृषि कार्यों से हो रही है। आय का दूसरा प्रमुख स्त्रोत आवंटित भूमि में खेती करना रहा है क्योंकि लगभग एक चौथाई आय आवंटित भूमि से हो रही है। यदि हम जिलेवार देखें तो जनपद लखीमपुर, हरदोई एटा में आवंटित भूमि से सबसे अधिक (क्रमशः लगभग 46.0 प्रतिशत, लगभग 25.0 प्रतिशत व लगभग 38.0 प्रतिशत) आय प्राप्त हो रही है। जबकि सुल्तानपुर व झांसी में आवंटित भूमि का योगदान कम देखा गया है, इन जिलों के 20 परिवारों द्वारा आवंटित भूमि पर खेती न करना भी इसका कारण रहा है। हरदोई व एटा जिलों में स्वयं की भूमि से लगभग एक चौथाई आय प्राप्त हो रही है और कुल मिलाकर स्वयं की खेती से पारिवारिक आय में लगभग 20.0 प्रतिशत का योगदान रहा है। कृषि श्रमिक, नौकरी, पेंशन, स्वरोजगार आदि से भी चयनित परिवारों को आय प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर प्रति परिवार विभिन्न स्त्रोतों से रूपया 28598 वार्षिक आय हो रही हैं।

## 7. उत्तरदाताओं के भूमि जोत का आकार :

तालिका संख्या–7 में उत्तरदाताओं को कुल आवंटित भूमि, स्वयं की भूमि, आवंटित भूमि में भौतिक कब्जा, कुल कृषि की गयी भूमि तथा औसत जोत आकार को दर्शाया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि जहां उत्तरदाताओं के पास आवंटन से पूर्व औसतन मात्र 0.21 एकड़ भूमि थी अब उनका औसत जोत आकार 1.48 एकड़ हो गया है। कुल मिलाकर प्रति परिवार वर्तमान में औसतन 1.48 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। जिसमें से औसतन 0.99 (67.29 प्रतिशत) एकड़ भूमि सिंचित है। सभी जिलों में औसतन 1.41 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है जिसमें से औसत 0.92 एकड़ भूमि सिंचित है। तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि कुल आवंटित भूमि में से मात्र लगभग 6.0 प्रतिशत आवंटित भूमि में आवंटियों को भौतिक कब्जा नहीं मिल पाया है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भूमि आवंटन कार्यक्रम को सफल माना जायेगा। यदि हम जिलेवार देखें तो एक तरफ जहां झांसी जिले में औसतन 2.5 एकड़ भूमि का आवंटन हुआ है और लगभग 10.0 प्रतिशत भूमि पर कब्जा नहीं मिला है, वहीं दूसरी तरफ सुलतानपुर में मात्र 0.73 एकड़ भूमि का आवंटन हुआ है उसमें से भी लगभग 6.0 प्रतिशत भूमि लोगों को भौतिक कब्जा नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण आवंटियों को नदी किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भूमि आवंटन करना रहा है। जनपद लखीमपुर में भी लगभग 6.0 प्रतिशत भूमि अन्य लोगों के कब्जे में होने के कारण आवंटियों को भौतिक कब्जा नहीं मिल पाया है।

### तालिका संख्या –7 उत्तरदाताओं के भूमि जोत का आकार (एकड़ में)

| क्र सं0 | विशेषतायें | लखीमपुर खीरी | | हरदोई | | सुलतानपुर | | एटा | | झांसी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | सिंचित | कुल | सिंचित | कुल | सिंचित | कुल | सिंचित | कुल | सिंचित | कुल | सिंचित |
| 1. | स्वयं की भूमि | 1.44 | 1.44 | 18.35 | 18.35 | 2.80 | 2.55 | 35.05 | 35.05 | - | - | 57.64 (0.21) | 57.39 (0.20) |
| 2. | कुल आवंटित भूमि | 76.54 | 76.54 | 59.16 | 59.16 | 42.33 | 15.65 | 86.05 | 58.29 | 129.26 | 18.55 | 393.24 (1.41) | 255.95 (0.92) |
| 3. | कब्जा प्राप्त भूमि | 70.17 | 70.17 | 59.06 | 59.06 | 37.36 | 15.65 | 85.65 | 58.29 | 119.06 | 18.55 | 371.30 (1.33) | 221.72 (0.79) |
| 4. | भूमि जिसमें कब्जा नहीं मिला | 6.37 | 6.37 | 0.10 | 0.10 | 4.87 | - | 0.40 | 0.40 | 10.20 | - | 21.94 (5.58 %) | 6.87 |
| 5. | कब्जा प्राप्त भूमि पर खेती | 68.73 | 68.73 | 58.96 | 58.96 | 32.49 | 15.65 | 85.25 | 57.89 | 108.86 | 18.55 | 354.29 | 219.78 |
| 6. | कुल कृषि की गयी भूमि | 70.17 | 70.17 | 77.31 | 77.31 | 35.29 | 18.20 | 120.30 | 92.94 | 108.86 | 18.55 | 411.93 | 277.17 |
| 7. | औसत भूमि जोत का आकार | 1.28 | | 1.36 | | 0.73 | | 2.01 | | 2.53 | | 1.48 | |

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये अंक औसत भूमि क्षेत्रफल को दर्शाते हैं।

## 8. आवंटित भूमि का स्रोत, आकार एवं आवंटन पट्टा मिलने का स्थान :

हमारे चयनित जिलों के गांवों में केवल सीलिंग व ग्राम समाज की भूमि का आवंटन लाभार्थियों को किया गया है। इन दोनों स्रोतों में भी लगभग 88.0 प्रतिशत भूमि ग्राम समाज की तथा शेष भूमि सीलिंग की है। जनपद सुल्तानपुर के चयनित गांवों में सीलिंग की अतिरिक्त भूमि नहीं पायी गयी। यद्यपि भू–आवंटन कृषि, आवास व मछली पालन आदि के लिये किया जाता है लेकिन हमारे प्रतिदर्श के शत–प्रतिशत लाभार्थियों को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिये हुआ है। भूमि आवंटन से पूर्व प्रति लाभार्थी को कम से कम 1.5 एकड़ भूमि देने का प्राविधान था लेकिन हमारे प्रतिदर्श के लगभग 22.0 प्रतिशत लाभार्थियों को 0.5 एकड़ से कम कृषि भूमि का आवंटन हुआ है। लगभग 26.0 प्रतिशत लाभार्थियों को 0.5 से 1.0 एकड़ तक भूमि का आवंटन हुआ है। अर्थात् कुल 48.0 प्रतिशत लोगों को 1.0 एकड़ से कम भूमि आवंटित हुई है। जनपद लखीमपुर, हरदोई व सुल्तानपुर

में आधे व एक एकड़ से कम भूमि प्राप्त करने वाले आवंटियों की संख्या क्रमशः 31.0 से 33.0 प्रतिशत तक है। हमारे प्रतिदर्श में सबसे अधिक लाभार्थी (33.33 प्रतिशत) 1.0 से 2.0 एकड़ के समूह में है लेकिन जिलेवार एटा व झांसी के सबसे अधिक लाभार्थी इस वर्ग में हैं। 2.0 से 3.0 एकड़ तक भूमि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या लगभग 13.0 प्रतिशत हैं। इसमें सबसे अधिक लगभग 29.0 प्रतिशत लाभार्थी लखीमपुर के हैं। हमारे प्रतिदर्श में लगभग 6.0 प्रतिशत लाभार्थियों को 3.0 एकड़ से अधिक भूमि का आवंटन हुआ है ये आवंटी एटा जिले के है।

अधिकतर लाभार्थियों (43.0 प्रतिशत) को भूमि आवंटन हुए 30 वर्ष से अधिक समय हो गया है जबकि 19.0 प्रतिशत लाभार्थियों को भू–आवंटन हुए 10–15 वर्ष व लगभग 18.0 प्रतिशत को 15–30 वर्ष हो गये हैं। हमारे प्रतिदर्श के लगभग 8.0 प्रतिंशत लाभार्थी को भू आवंटन हुए अभी 5–10 वर्ष ही हुए हैं जबकि लगभग 13.0 प्रतिशत लाभार्थियों को भू आवंटन हुए 5 वर्ष से भी कम समय हुआ है। इनमें अधिकतर लाभार्थी सुल्तानपुर व झांसी के हैं। झांसी में 87.5 प्रतिशत व लखीमपुर में 71.0 प्रतिशत लाभार्थियों को भूमि आवंटन हुए 30 वर्ष से अधिक वर्ष हो गये हैं। कुल मिलाकर हमारे प्रतिदर्श के लगभग 79.0 प्रतिशत लाभार्थियों को भूमि आवंटन हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है।

सामान्यतः भूमि आवंटन की सूचना गांव में डुगडुगी बजाकर दी जाती है। हमारे प्रतिदर्श के लगभग 42.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात को स्वीकारा है। गांव के प्रधान से लगभग 54.0 प्रतिशत व लगभग 4.0 प्रतिशत लाभार्थियों को लेखपाल के माध्यम से भू आवंटन की सूचना मिली है।

साधारणतया चयनित लाभार्थी को आवंटन का पट्टा लेखपाल द्वारा आवंटी के घर में देने का प्राविधान है। लेकिन लेखपाल ग्राम सभा की बैठक में जाकर प्रधान के माध्यम से आवंटियों को पट्टा बॅटवा देते है। हमारे प्रतिदर्श में भी लगभग 64.0 प्रतिशत पट्टे ग्राम पंचायत की बैठक में तथा लगभग 25.0 प्रतिशत लाभार्थियों को आवंटित भूमि के पट्टे लेखपाल ने स्वयं दिये हैं। यदि कोई व्यक्ति पंचायत में न पहुँचे व लेखपाल को नहीं मिल पाये तो लोगों को पट्टा लेने तहसील कार्यालय जाना पड़ता है। लगभग 11.0 प्रतिशत लोगों ने इस बात को स्वीकारा है।

### तालिका संख्या – 8 आवंटित भूमि का स्रोत, उद्देश्य व आकार

| स्रोत/उद्देश्य/आकार | लखीमपुर | | हरदोई | | सुल्तानपुर | | एटा | | झांसी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % |
| **1. आवंटित भूमिका स्रोत** | | | | | | | | | | | | |
| भूमि हदबन्दी (सीलिंग) | 18 | 32.14 | 2 | 3.51 | - | - | 5 | 8.33 | 9 | 17.65 | 34 | 12.19 |
| ग्राम समाज | 38 | 67.86 | 55 | 96.49 | 55 | 100.0 | 55 | 91.67 | 42 | 82.35 | 245 | 87.81 |
| कुल | 56 | 100.0 | 57 | 100.0 | 55 | 100.0 | 60 | 100.0 | 51 | 100.0 | 279 | 100.0 |
| **2. भूमि आवंटन का उद्देश्य** | | | | | | | | | | | | |
| कृषि | 56 | 100.0 | 57 | 100.0 | 55 | 100.0 | 60 | 100.00 | 51 | 100.0 | 279 | 100.0 |
| **3. आवंटित भूमि का आकार** | | | | | | | | | | | | |
| 0.50 एकड़ से कम | 18 | 32.14 | 19 | 33.33 | 17 | 30.91 | 6 | 10.00 | 2 | 3.92 | 62 | 22.22 |
| .50 – 1.00 | 9 | 16.07 | 19 | 33.33 | 23 | 41.82 | 19 | 31.67 | 3 | 5.88 | 73 | 26.16 |
| 1.00 – 2.00 | 13 | 23.22 | 12 | 21.06 | 15 | 27.27 | 28 | 46.67 | 25 | 49.02 | 93 | 33.33 |
| 2.00 – 3.00 | 16 | 28.57 | 7 | 12.28 | - | - | 6 | 10.00 | 6 | 11.76 | 35 | 12.55 |
| 3.00 – ऊपर | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.66 | 15 | 29.42 | 16 | 5.74 |
| **4. भूमि आवंटन का वर्ष** | | | | | | | | | | | | |
| 5 वर्ष से कम | - | - | 3 | 5.26 | 17 | 30.90 | - | - | 15 | 29.41 | 35 | 12.54 |
| 5–10 वर्ष | 7 | 12.50 | 4 | 7.02 | - | - | 10 | 16.67 | - | - | 21 | 7.53 |
| 10–15 वर्ष | - | - | 24 | 42.11 | - | - | 29 | 48.33 | - | - | 53 | 19.00 |
| 15–30 वर्ष | - | - | 12 | 21.05 | 19 | 34.55 | 19 | 31.67 | - | - | 50 | 17.92 |
| 30 से अधिक | 49 | 87.50 | 14 | 24.56 | 19 | 34.55 | 2 | 3.33 | 36 | 70.59 | 120 | 43.01 |
| **5. भूमि आवंटन की सूचना का स्रोत** | | | | | | | | | | | | |
| डुगडुगी बजाकर | 26 | 46.43 | 50 | 87.72 | - | - | 40 | 66.67 | - | - | 116 | 41.58 |
| प्रधान द्वारा | 23 | 41.07 | 5 | 8.77 | 55 | 100.00 | 18 | 30.00 | 51 | 100.0 | 152 | 54.48 |
| लेखपाल द्वारा | 7 | 12.50 | 2 | 3.51 | - | - | 2 | 3.33 | - | - | 11 | 3.94 |
| **6. पट्टा मिलने का स्थान** | | | | | | | | | | | | |
| ग्राम पंचायत बैठक में प्रधान द्वारा | 20 | 35.71 | 30 | 52.63 | 36 | 65.45 | 51 | 85.00 | 42 | 82.35 | 179 | 64.16 |
| लेखपाल द्वारा | 34 | 60.72 | 17 | 29.83 | 19 | 34.55 | - | - | - | - | 70 | 25.09 |
| तहसील कार्यालय | 2 | 3.57 | 10 | 17.54 | - | - | 9 | 15.00 | 9 | 17.65 | 30 | 10.75 |

## 9. आवंटित भूमि का पट्टा प्राप्त करने में कठिनाईयां :

नियमतः भूमि आवंटन का पट्टा आवंटन तिथि के सूचना के दो माह के अर्न्तगत आवन्टी को मिल जाना चाहिए। यह भी नियम है कि पट्टा सौंपने लेखपाल स्वयं गांव में जाकर लाभार्थी को

सौंपेगा यही कारण है कि हमारे चयनित लगभग 90.0 प्रतिशत लाभार्थियों को आवंटित भूमि का पट्टा एक–दो बार में ही गांव में मिल गया और लगभग 7.0 प्रतिशत को पट्टे तीन से पांच बार में लेखपाल से मिल गये थे लेकिन लगभग 3.0 प्रतिशत पट्टे लाभार्थी के गांव में न होने या लेखपाल के न मिलने पर दर्जनों बार लाभार्थी को दौड़भाग करनी पड़ती है।

हमारे प्रतिदर्श के चयनित लगभग 80.0 प्रतिशत परिवारों को भू–आवंटन पट्टा 2 माह के अन्दर मिल गया था। जबकि लगभग 13.0 प्रतिशत लाभार्थियों को दो से छः माह और लगभग 7.0 प्रतिशत लाभार्थियों को पट्टा लेने में छः माह से एक वर्ष तक का समय लगा। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो कुछ लोगों को छोड़कर अधिकतर लोग नियमानुसार पट्टा पाने में सफल रहें हैं।

भूमि आवंटन का पट्टा देने के बाद हमारे चयनित लगभग 55.0 प्रतिशत लाभार्थियों को जमीन को चिन्हित करके बताया गया, जबकि लगभग 36.0 प्रतिशत लाभार्थियों को दूसरे के कब्जे से भूमि को छुड़ाकर लाभार्थी को दिया गया है। दुर्भाग्य से लगभग 10.0 प्रतिशत लाभार्थियों को मात्र पट्टा मिला पर जमीन का कब्जा नहीं मिल सका।

**तालिका संख्या– 9 पट्टा प्राप्त करने में उत्तरदाताओं की कठिनाइयां**

| कठिनाइयां | लखीमपुर | | हरदोई | | सुल्तानपुर | | एटा | | झांसी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % |
| **1. पट्टा लेने में दौड़ भाग** | | | | | | | | | | | | |
| एक से दो बार | 54 | 96.42 | 50 | 87.72 | 50 | 90.91 | 55 | 91.67 | 42 | 82.35 | 251 | 89.96 |
| तीन से पांच | 1 | 1.79 | 6 | 10.53 | 5 | 9.09 | 3 | 5.00 | 5 | 9.80 | 20 | 7.17 |
| दर्जनों बार | 1 | 1.79 | 1 | 1.75 | – | – | 2 | 3.33 | 4 | 7.85 | 8 | 2.87 |
| कुल | 56 | 100.0 | 57 | 100.0 | 55 | 100.0 | 60 | 100.0 | 51 | 100.0 | 279 | 100.0 |
| **2. पट्टा लेने मे लगा समय** | | | | | | | | | | | | |
| 1 माह से कम | 11 | 19.64 | 37 | 64.91 | 43 | 78.18 | 41 | 68.33 | 5 | 9.80 | 137 | 49.10 |
| 1–2 माह | 17 | 30.36 | 12 | 21.05 | 7 | 12.73 | 13 | 21.67 | 36 | 70.59 | 85 | 30.47 |
| 2–6 माह | 13 | 23.21 | 5 | 8.77 | 4 | 7.27 | 5 | 8.33 | 10 | 19.61 | 37 | 13.26 |
| 6 माह–1 वर्ष | 15 | 26.79 | 3 | 5.27 | 1 | 1.82 | 1 | 1.67 | – | – | 20 | 7.17 |
| **3. पट्टा देने के बाद खेत बताने का तरीका** | | | | | | | | | | | | |
| जमीन को चिन्हित कर बताया | 30 | 53.57 | 12 | 21.05 | 25 | 45.45 | 37 | 61.67 | 48 | 94.12 | 152 | 54.48 |
| जमीन पर कब्जा दिलाया | 25 | 44.64 | 43 | 75.44 | 10 | 18.18 | 20 | 33.33 | 2 | 3.92 | 100 | 35.84 |
| केवल जमीन का पट्टा मिला | 1 | 1.79 | 2 | 3.51 | 20 | 36.37 | 3 | 5.00 | 1 | 1.96 | 27 | 9.68 |

## 10. आवंटित भूमि की स्थिति व भौतिक कब्जा लेने में आयी कठिनाइयां :

तालिका 10 में लाभार्थियों को किस प्रकार की भूमि दी गयी और आवंटित भूमि में कब्जा लेने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तथा सरकार द्वारा आवंटित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये किस प्रकार की सहायता दी गयी आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका से ज्ञात होता है कि लगभग 69.0 प्रतिशत लाभार्थियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि लगभग 12.0 प्रतिशत लोगों को लवणयुक्त भूमि आवंटित की गयी है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि हरदोई व एटा में सरकार द्वारा जो लवणयुक्त भूमि आवंटित की थी उसके सुधार के लिये आर्थिक सहायता व भूमि में लवण कम करने के लिये जिप्सम का वितरण लाभार्थियों को किया गया है। चयनित 19.0 प्रतिशत लाभार्थियों को उबड़–खाबड़, बंजर, नदी किनारे की बलुई व जल भराव वाली भूमि का आवंटन किया गया है। जनपद लखीमपुर में (लगभग 4.0 प्रतिशत) लोगों को जलभराव की जमीन मिली है, जबकि सुल्तानपुर में 18 (33.0 प्रतिशत) लोगों को नदी किनारे की बाढ़ग्रस्त जमीन दी गयी। एटा व झांसी जिले के क्रमशः लगभग 13.0 प्रतिशत व लगभग 51.0 प्रतिशत लोगों को उबड़–खाबड़, बंजर व पथरीली जमीन का आवंटन किया गया है।

**तालिका संख्या–10 आवंटित भूमि की स्थिति व भौतिक कब्जा लेने में कठिनाइयां**

| विशेषताएं | लखीमपुर | | हरदोई | | सुल्तानपुर | | एटा | | झांसी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % |
| **1. आवंटित भूमि का प्रकार** | | | | | | | | | | | | |
| खेती योग्य | 54 | 96.42 | 45 | 78.95 | 37 | 67.20 | 31 | 51.67 | 25 | 49.02 | 192 | 68.81 |
| लवणयुक्त | – | – | 12 | 21.06 | – | – | 21 | 35.00 | – | – | 33 | 11.83 |
| उबड़–खाबड़/बंजर बलुई/बाढ़ग्रस्त | 2 | 3.57 | – | – | 18 | 32.80 | 8 | 13.33 | 26 | 50.98 | 54 | 19.36 |
| कुल | 56 | 100.0 | 57 | 100.0 | 55 | 100.0 | 60 | 100.0 | 51 | 100.0 | 279 | 100.0 |
| **2. आवंटित भूमि में भौतिक कब्जा समय से मिला** | | | | | | | | | | | | |
| हॉ | 44 | 78.57 | 53 | 92.98 | 46 | 83.64 | 51 | 85.00 | 47 | 92.16 | 241 | 86.38 |
| नहीं | 12 | 21.43 | 4 | 7.02 | 9 | 16.36 | 9 | 15.00 | 4 | 7.84 | 38 | 13.62 |

| **1. भौतिक कब्जा लेने में कठिनाइयां** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कागजी कार्यवाही में दौड़ भाग | – | – | 2 | 50.00 | – | – | 2 | 22.22 | – | – | 4 | 10.53 |
| घूस की मांग | – | – | – | – | 4 | 44.44 | 4 | 22.22 | – | – | 8 | 15.79 |
| पुराने कब्जेदार/ दबंगों द्वारा प्रताड़ना | 9 | 75.00 | – | – | – | – | 1 | 11.11 | 2 | 50.00 | 12 | 31.58 |
| प्रशासनिक सहायता न मिलना | 2 | 16.67 | 2 | 50.00 | – | – | 3 | 33.31 | – | – | 7 | 18.42 |
| आवंटित भूमि पर पूरा कब्जा न मिलना खेत दूर मिलना | 1 | 8.33 | – | – | 5 | 55.56 | 1 | 11.11 | 2 | 50.00 | 9 | 23.68 |
| **2. आवंटित भूमि पर पूरा कब्जा न मिलने के कारण** | | | | | | | | | | | | |
| प्रशासनिक सहयोग न मिलना | 1 | – | – | – | 2 | 40.0 | – | – | – | – | 3 | 33.33 |
| दबंगों का कब्जा | – | – | – | – | 1 | 20.00 | – | – | 2 | 100.0 | 3 | 33.33 |
| घूस की मांग | – | – | – | – | 2 | 40.00 | 1 | 100.0 | – | – | 3 | 33.33 |
| **3. आवंटित भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सरकारी सहायता** | | | | | | | | | | | | |
| हॉ | – | – | 17 | 29.82 | – | – | 34 | 56.67 | – | – | 51 | 18.28 |
| नहीं | 56 | 100.0 | 40 | 70.18 | 55 | 100.0 | 26 | 43.33 | 51 | 100.0 | 228 | 81.72 |
| **4. सरकारी सहायता का प्रकार (प्रति परिवार रूपया)** | | | | | | | | | | | | |
| नकद (रूपया) | – | – | 550 | 32 | – | – | 1300 | 38 | – | – | 1850 | 81 |
| रासायनिक खाद (किग्रा) | – | – | 1455 | 86 | – | – | 970 | 29 | – | – | 2425 | 11 |
| बीज (किग्रा) | – | – | 327 | 19 | – | – | 638 | 19 | – | – | 965 | 4 |
| जिप्सम (किग्रा) | – | – | 31950 | 1879 | – | – | 29350 | 863 | – | – | 61300 | 269 |

हमने लाभार्थियों से यह भी जानने का प्रयास किया कि क्या उनको आवंटित जमीन का भौतिक कब्जा समय से मिल गया था। लगभग 86.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक जवाब दिये जबकि लगभग 14.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को भौतिक कब्जा लेने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें जमीन में कब्जा किये पुराने कब्जेदार व गांव के दबंग मुख्य हैं जिन्होंनं भौतिक कब्जा लेने में लाभार्थियों को डराया और धमकाया। दबंगों का दबाव होने पर भी लगभग 18.0 प्रतिशत लोग प्रशासनिक सहायता न मिलने की शिकायत करते हैं। यदि सहायता की मांग की

जाती है तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा घूस की मांग की जाती है। लगभग 16.0 प्रतिशत लाभार्थी इस बात को स्वीकारते हैं। हमारे अध्ययन के लगभग 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आवंटित भूमि में पूरा कब्जा न मिलने के साथ–2 आवंटित भूमि एक ही जगह न मिलने की बात की है, जबकि लगभग 11.0 प्रतिशत उत्तरदाता कागजी कार्यवाही में अत्यधिक दौड़ भाग करने की बात को स्वीकारते हैं। आवंटित भूमि में पूरा कब्जा न मिलने में आवंटित भूमि पर दबंगों का कब्जा, घूस की मांग, व प्रशासनिक सहायता न मिलना जैसे कारण रहें हैं।

आवंटित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यद्यपि सरकारी सहायता का प्राविधान नहीं है इसी कारण हमारे चयनित 82.0 प्रतिशत लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है जबकि जनपद हरदोई व एटा में भूमि सुधार के कार्यक्रम चलने के कारण 18.28 प्रतिशत आवंटियों को नकद, रासायनिक खाद, बीज तथा ऊसर सुधार के लिये जिप्सम का वितरण किया गया है।

## 11. आवंटित भूमि का उपयोग और उसमें खेती करने में कठिनाइयाँ :

तालिका संख्या–11 से ज्ञात होता है कि हमारे चयनित 9 परिवारों (3.23 प्रतिशत) को आवंटित भूमि में पूर्णतया कब्जा नहीं मिल पाया है। जबकि लगभग 97.0 प्रतिशत लाभार्थियों को आवंटित भूमि में पूरा कब्जा मिल चुका है। 87.0 प्रतिशत परिवार आवंटित भूमि में खेती कर रहें हैं इसके साथ–साथ जिन परिवारों को (3.22 प्रतिशत) पूरी आवंटित भूमि प्राप्त नहीं हुई है वे भी आवंटित भूमि का उपयोग कृषि हेतु कर रहें हैं। सुल्तानपुर के लगभग 2.0 प्रतिशत लाभार्थियों ने कुछ जमीन बेच दी है जबकि शेष भूमि में खेती कर रहें हैं। अर्थात् लगभग 93.0 प्रतिशत उत्तरदाता आवंटित भूमि में खेती कर रहें हैं। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (नदी किनारे की भूमि) तथा पथरीली व उबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण क्रमशः सुल्तानपुर के 27.0 प्रतिशत व झांसी के 10.0 प्रतिशत लाभार्थी आवंटित भूमि का खेती हेतु उपयोग नहीं कर रहे है। अतः उनकी भूमि बंजर पड़ी हुई है। लखीमपुर जिले के एक लाभार्थी ने आवंटित भूमि में मकान बना लिया है। कुल मिलाकर यदि 93.0 प्रतिशत लाभार्थी कृषि हेतु आवंटित भूमि में खेती कर रहें हैं तो यह भूमि सुधार कानून व प्रशासनिक सहयोग का ही प्रतिफल माना जायेगा।

यद्यपि आवंटित भूमि में लाभार्थियों द्वारा खेती की जा रही है। लेकिन इस भूमि में खेती करने में इन लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 63.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सिंचाई के समय बिजली न मिल पाने, सरकारी ट्यूबवेल न होने तथा सिंचाई लागत अधिक होने

के कारण खेती करने में सिंचाई की समस्या को उजागर किया है। जबकि लगभग 58.0 प्रतिशत उत्तरदाता समय पर खाद, बीज उपलब्ध न होने व इनके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। यदि हम जिलेवार देखें तो सिंचाई की समस्या हरदोई (78.0 प्रतिशत) व झांसी (78.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक उत्तरदाताओं ने बतायी है। खाद, बीज की समस्या लखीमपुर को छोड अन्य जिलों के लगभग 51 से 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बतायी है। हमारे अध्ययन के लगभग 14.0 प्रतिशत उत्तरदाता समय से ट्रैक्टर से जुताई व थ्रेसर से मड़ाई न हो पाने की बात करते हैं। चूंकि सुल्तानपुर, एटा व झांसी के लाभार्थियों को उबड़ खाबड़ वाली भूमि का भी आवंटन हुआ था। आज तक लगभग 10.0 प्रतिशत उत्तरदाता भूमि समतल न हो पाने की बात को स्वीकारते हैं, जिस कारण लोगों को फसलों की सिंचाई करने में कठिनाई आती है।

हमने आवंटित भूमि में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये लाभार्थियों से सुझाव मांगे थे लाभार्थियों ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये सिंचाई, खाद, बीज की व्यवस्था, आसान ब्याज पर ऋण, भूमि समतलीकरण में सहायता एवं किराये के कृषि यंत्रों के उपलब्ध होने पर कृषि उत्पादकता बढ़ने की आवश्यकता बताई है।

**तालिका संख्या–11 आवंटित भूमि का उपयोग और उसमें खेती करने में कठिनाइयां**

| विशेषताएँ | लखीमपुर | | हरदोई | | सुल्तानपुर | | एटा | | झांसी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % |
| **1. कुल आवंटित भूमि पर कब्जा** | | | | | | | | | | | | |
| पूरा कब्जा मिला | 55 | 98.21 | 57 | 100.0 | 50 | 90.91 | 59 | 98.33 | 49 | 96.08 | 270 | 96.77 |
| आधा कब्जा मिला | 1 | 1.79 | – | – | 5 | 9.09 | 1 | 1.67 | 2 | 3.92 | 9 | 3.23 |
| कुल | 56 | 100.0 | 57 | 100.0 | 55 | 100.0 | 60 | 100.0 | 51 | 100.0 | 279 | 100.0 |
| **2. आवंटित भूमि का उपयोग** | | | | | | | | | | | | |
| खेती हेतु | 54 | 96.44 | 57 | 100.0 | 30 | 54.55 | 59 | 98.33 | 44 | 86.27 | 244 | 87.46 |
| आंशिक खेती व आंशिक भूमि का कब्जा नहीं मिला | 1 | 1.78 | – | – | 5 | 9.09 | 1 | 1.67 | 2 | 3.92 | 9 | 3.22 |
| भूमि बंजर पड़ी है | – | – | – | – | 15 | 27.27 | – | – | 5 | 9.81 | 20 | 7.17 |
| आवास बना लिया है | 1 | 1.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.36 |
| आंशिक खेती व आंशिक भूमि विक्रय | – | – | – | – | 5 | 9.09 | – | – | – | – | 5 | 1.79 |

| **1. आवंटित भूमि पर खेती करने में कठिनाइयां (बहुविकल्पीय उत्तर)** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि यंत्रों का अभाव | 8 | 14.28 | 28 | 49.12 | 16 | 39.09 | 38 | 63.33 | 6 | 11.76 | 40 | 14.34 |
| सिंचाई की समस्या | 22 | 39.28 | 45 | 78.95 | 34 | 61.82 | 35 | 58.33 | 40 | 78.43 | 176 | 63.08 |
| खाद बीज खरीदने की समस्या | 21 | 37.50 | 37 | 64.91 | 36 | 65.45 | 43 | 71.67 | 26 | 50.98 | 163 | 58.42 |
| भूमि समतलीकरण की समस्या | 2 | 3.57 | – | – | 3 | 5.45 | 8 | 13.33 | 15 | 29.41 | 28 | 10.03 |
| जल भराव की समस्या | 3 | 5.36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1.07 |
| **2. आवंटित भूमि कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु सुझाव (बहुविकल्पीय उत्तर)** | | | | | | | | | | | | |
| सिंचाई की व्यवस्था | 35 | 62.50 | 27 | 47.37 | 32 | 58.18 | 27 | 45.00 | 43 | 84.31 | 164 | 58.78 |
| खाद बीज की उपलब्धता | 31 | 55.36 | 42 | 73.68 | 37 | 67.27 | 38 | 63.33 | 8 | 15.68 | 156 | 55.91 |
| ऋण सुविधा | 16 | 28.57 | 7 | 12.28 | 35 | 63.64 | 17 | 28.33 | 8 | 15.69 | 81 | 29.03 |
| भूमि समतलीकरण | 2 | 3.57 | – | – | 20 | 36.36 | – | – | 28 | 54.90 | 50 | 17.92 |
| कृषि यन्त्रों की उपलब्धता (थ्रेसर, ट्रेक्टर) | 6 | 10.71 | 19 | 33.33 | – | – | – | 33.33 | – | – | 45 | 16.13 |

## 12. भूमि आवंटन का लाभार्थियों पर परिमाणात्मक व गुणात्मक प्रभाव :

यद्यपि हमने भूमि आवंटन के पूर्व व बाद में कृषि उत्पादकता, प्रति एकड़ उत्पादन व उत्पादन मूल्य को जानने का प्रयास किया लेकिन भूमि आवंटन को 20 से 30 वर्ष तक होने के कारण उत्तरदाताओं के लिये उपरोक्त बातों को पुनः स्मरण करना सम्भव नहीं हो पाया। इसके साथ–2 हमारे उत्तरदाता भूमिहीन भी हैं अतः हमने कृषि में पड़े परिमाणात्मक प्रभाव को जानने के लिये विगत वर्ष स्वयं के खेतों तथा आवंटित खेतों में की गयी खेती के अन्तर को आधार बनाया है और उन्हीं उत्तरदाताओं के माध्यम से परिमाणात्मक प्रभाव जानने का प्रयास किया गया है जिनके पास आवंटन से पूर्व अपनी स्वयं की भूमि थी। गणना के लिये शुद्ध उत्पादन मूल्य को आधार बनाया गया है। महायोग में जनपद झांसी को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि इस जनपद के सभी आवंटी भूमि आवंटन से पूर्व भूमिहीन थे।

तालिका 12 से ज्ञात होता है कि हमारे चयनित प्रति आवंटी को कृषि से लगभग 12 हजार रूपया वार्षिक शुद्ध आय हो रही है जिसमें आवंटित भूमि का योगदान लगभग 57.0 प्रतिशत है।

जबकि स्वयं की भूमि से लगभग 43.0 प्रतिशत आय हो रही है। हमारे सभी चयनित जिलों में आवंटित भूमि से हो रही आय, निजी भूमि से प्राप्त आय से अधिक देखी गयी है और जनपद झांसी में शत प्रतिशत आय आवंटित भूमि से हो रही है।

**तालिका संख्या–12 कृषि में आवंटित भूमि का परिमाणात्मक प्रभाव**

| जिला | स्वयं की भूमि | | आवंटित भूमि | | कुल जोती गयी भूमि मे शुद्ध उत्पादन मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| | स्वयं की भूमि का क्षेत्रफल | स्वयं की भूमि में प्रति लाभार्थी शुद्ध उत्पादन मूल्य | आवंटित भूमि का क्षेत्रफल | आवंटित भूमि में प्रति लाभार्थी शुद्ध उत्पादन मूल्य | |
| **1. लखीमपुर** | 1.44 | | 1.99 | | |
| अनाज | | 4204 | | 7043 | 11247 |
| दलहन | | . | | 1300 | 1300 |
| योग | | 4204 (33.5) | | 8348 (66.5) | 12547 (100.0) |
| **2. हरदोई** | 18.35 | | 31.0 | | |
| अनाज | | 6203 | | 8051 | 14253 |
| सब्जियां | | 109 | | 154 | 263 |
| योग | | 6312 (43.5) | | 8205 (56.5) | 14517 (100.0) |
| **3. सुल्तानपुर** | 2.40 | | 2.40 | | |
| अनाज | | 3522 | | 3559 | 7081 |
| दलहन | | 434 | | 650 | 1084 |
| तिलहन | | 117 | | – | 117 |
| योग | | 4073 (49.2) | | 4209 (50.8) | 8282 (100.0) |
| **4. एटा** | 35.0 | | 65.7 | | |
| अनाज | | 6650 | | 7779 | 14425 |
| तिलहन | | 18 | | 98 | 116 |
| सब्जियां | | 33 | | – | 33 |
| योग | | 6701 (46.0) | | 7877 (54.0) | 14578 (100.0) |
| **5. झांसी** | – | | 129.6 | | |
| अनाज | | – | | 3540 | 3540 |
| तिलहन | | – | | 1699 | 1699 |
| योग | | – | | 5239 (100.0) | 5239 (100.0) |
| **महायोग** | 57.19 | 5323 (42.7) | 230.69 | 7158 (57.3) | 12481 (100.0) |

तालिका संख्या–13 में हमने चयनित जिलों में गेहूँ व धान की औसत पैदावार व प्रति एकड़ उत्पादन मूल्य को दर्शाया है। तालिका के अनुसार सभी चयनित जिलों के गांवों में गेहूँ व धान की औसत उत्पादकता लगभग 10 कुन्तल प्रति एकड़ पायी है। जबकि चयनित जिलों में प्रति एकड़ उत्पादकता में भिन्नता पायी गयी है। प्रदेश का तराई क्षेत्र का जिला होने की वजह से लखीमपुर जिले में स्वयं की भूमि की तुलना में आवंटित भूमि में प्रति एकड़ उत्पादकता सबसे अधिक देखी गयी है। उसी प्रकार हरदोई व एटा में प्रति एकड़ धान की उत्पादकता चयनित जिलों की औसत उत्पादकता से कम पायी गयी है। जनपद सुल्तानपुर व झांसी में दोंनों अनाजों की प्रति एकड़ उत्पादकता चयनित जिलों के औसत उत्पादकता से कम पायी गयी है। जहां तक आवंटित भूमि में प्रति एकड़ उत्पादकता का प्रश्न है एटा व लखीमपुर में धान व गेहूँ की उत्पादकता अधिक है। जबकि हरदोई व सुल्तानपुर में आवंटित भूमि में प्रति एकड़ उत्पादकता दोनों फसलों में कम पायी गयी है। सभी जनपदों में गेहूँ व धान प्रति एकड़ उत्पादन, जनपदों के औसत उत्पादन के लगभग समान पायी गयी है।

**तालिका संख्या–13: चयनित जिलों में गेहूँ व धान का प्रति एकड़ उत्पादकता प्रति एकड़ उत्पादन मूल्य**

| जिला | स्वयं की भूमि | | आवंटित भूमि | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रति एकड़ उत्पादन | प्रति एकड़ उत्पादन मूल्य | प्रति एकड़ उत्पादन | प्रति एकड़ उत्पादन मूल्य |
| **1. लखीमपुर** | | | | |
| गेहूँ | 11.14 | 9246 | 12.01 | 9968 |
| धान | 13.86 | 11088 | 14.21 | 11368 |
| **2. हरदोई** | | | | |
| गेहूँ | 10.50 | 8820 | 9.06 | 7610 |
| धान | 12.20 | 9882 | 11.09 | 8983 |
| **3.सुल्तानपुर** | | | | |
| गेहूँ | 10.12 | 8602 | 9.34 | 7939 |
| धान | 11.47 | 9004 | 7.53 | 5911 |
| **4. एटा** | | | | |
| गेहूँ | 10.08 | 8668 | 11.21 | 9641 |
| धान | 10.15 | 7612 | 12.31 | 9233 |

| 5. झांसी | | | | |
|---|---|---|---|---|
| गेहूँ | — | — | 9.12 | 8299 |
| धान | — | — | 6.37 | 5096 |
| 6. कुल | | | | |
| गेहूँ | 10.46 | 8834 | 10.15 | 8691 |
| धान | 11.92 | 9396 | 10.30 | 8118 |

तालिका संख्या–14 में भूमि आवंटन से पूर्व व आवंटन के बाद लाभार्थियों को कृषि व गैर कृषि में मिले रोजगार दिवसों को दर्शाया गया है। जहां भूमि आवंटन से पूर्व आवंटी को मात्र 84 दिन रोजगार मिलता था भूमि आवंटन के बाद उनको 181 दिनों को रोजगार मिलने लगा है अर्थात् उनके कार्यदिवसों में लगभग 215.0 प्रतिशत दिनों की बढ़ोत्तरी हुई है। झांसी जिले के आवंटियों को आवंटित भूमि में वर्तमान में औसतन 182 दिनों का रोजगार मिल गया है जबकि पहले सभी आवंटी भूमिहीन थे। अन्य जिलों के आवंटियों के कार्य दिवसों में दुगुने से ज्यादा वृद्धि हुई है। भूमि आवंटन से पूर्व हमारे उत्तरदाता जहां पहले कृषि श्रमिक व अन्य निर्माण कार्यों में लगकर गैर कृषि कार्य करते थे। अब सरकार द्वारा चलाये गये विभिन्न कार्यक्रमों तथा अन्य जगहों पर गैर कृषि कार्य करते हैं। वर्तमान में इतना अन्तर आया है कि अब वे अपने गांव या नजदीक के गांवों में ही कार्य न करके दूर–2 के गांवों में मजदूरी करने जाते हैं। हमारे चयनित उत्तरदाताओं व परिवार के सदस्यों के गैर कृषि कार्यों में जहां एक ओर स्वयं के रोजगार दिवसों में कमी आयी है वहीं दूसरी ओर परिवार के अन्य सदस्यों के रोजगार दिवसों में वृद्धि हुई है। जिलेवार देखने में भी जहां कृषि में भूमि आवंटन के बाद सभी लाभार्थियों व पारिवारिक सदस्यों के कार्य दिवसों में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी तरफ गैर कृषि कार्य दिवसों में भी वृद्धि हुई है, जो लाभार्थियों के आय अर्जन व रोजगार की दर्षष्टि से एक शुभ संकेत है।

## तालिका संख्या –14 भूमि आवंटन का रोजगार पर प्रभाव

(औसत कार्य दिवस)

| जिला | भूमि आवंटन से पूर्व | | | भूमि आवंटन के बाद | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कृषि | गैर कृषि | कुल | कृषि | गैर कृषि | कुल |
| 1. लखीमपुर | | | | | | |
| स्वयं | 83 | 160 | 243 | 160 | 102 | 262 |
| परिवार के सदस्य | 50 | 103 | 153 | 84 | 100 | 184 |

| 2. हरदोई | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वयं | 90 | 132 | 222 | 201 | 69 | 270 |
| परिवार के सदस्य | 30 | 100 | 130 | 90 | 129 | 219 |
| 3. सुल्तानपुर | | | | | | |
| स्वयं | 54 | 200 | 254 | 180 | 123 | 303 |
| परिवार के सदस्य | 40 | 88 | 128 | 69 | 170 | 239 |
| 4.एटा | | | | | | |
| स्वयं | 109 | 123 | 232 | 180 | 120 | 300 |
| परिवार के सदस्य | 38 | 65 | 103 | 65 | 180 | 145 |
| 5.झांसी | | | | | | |
| स्वयं | — | 250 | 250 | 182 | 100 | 282 |
| परिवार के सदस्य | — | 150 | 150 | 70 | 150 | 220 |
| कुल | — | | | | | |
| स्वयं | 84 | 173 | 257 | 181 | 123 | 304 |
| परिवार के सदस्य | 32 | 101 | 133 | 76 | 146 | 222 |

तालिका संख्या–15 में भूमि आवंटन से लाभार्थी के जीवन पर पड़े गुणात्मक प्रभावों को दर्शाया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि भूमि आवंटन के बाद आवंटियों के जीवन में शत प्रतिशत गुणात्मक प्रभाव पड़ा है लेकिन कुछ में सकारात्मक प्रभाव अधिक व कुछ में कम प्रभाव पड़ा है। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास में वृद्धि व कर्ज लेने में आसानी में 50.0 प्रतिशत से अधिक गुणात्मक प्रभाव पड़ा है। जिलेवार देखने पर इसमें भिन्नता पाई गयी है। भूमि आवंटन के बाद गांवों में दबंगों द्वारा की जाने वाली दबंगई में काफी कमी आयी है। लगभग 37.0 प्रतिशत उत्तरदाता दबंगई बन्द होने तथा लगभग 62.0 प्रतिशत उत्तरदाता दबंगई में कमी आने की बात को स्वीकारते हैं। जनपद सुल्तानपुर में दबंगई में कमी आयी है। लगभग 44.0 प्रतिशत उत्तरदाता पशु चारा अधिक उपलब्ध होने की बात स्वीकारते हैं। जनपद हरदाई व लखीमपुर में भूमि आवंटन के बाद पशु चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा है। भूमि आवंटन के बाद लगभग 40.0 प्रतिशत लाभार्थियों ने पक्के घर बना लिए हैं। लखीमपुर व एटा जिले के 70 से 73 प्रतिशत आवंटियों ने पक्के घर बना लिए हैं। लगभग 32.0 प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य सेवायें लेने में अधिक सुविधा हुई है। हरदोई, एटा व झांसी जनपद के लाभार्थी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। लगभग 40.0 प्रतिशत लाभार्थी बच्चों को शिक्षा देने में अधिक समर्थ हुए हैं। जनपद लखीमपुर, हरदोई व झांसी के आवंटी

बच्चों को शिक्षा में अधिक सुविधा होने की बात स्वीकारते हैं। कुल मिलाकर भूमि आवंटन से लाभार्थियों के जीवन पर भूमि आवंटन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

**तालिका संख्या–15 भूमि आवंटन से लाभार्थी के जीवन पर गुणात्मक प्रभाव**

| प्रभाव | लखीमपुर | | हरदोई | | सुल्तानपुर | | एटा | | झांसी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कम | अधिक | कम | अधिक | कम | अधिक | कम | अधिक | कम | अधिक | कम | अधिक |
| 1. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि | 12 (21.43) | 42 (75.00) | 23 (40.35) | 34 (59.65) | 47 (85.45) | 8 (14.55) | 22 (36.67) | 38 (63.33) | 4 (7.84) | 47 (92.16) | 108 (38.71) | 169 (60.57) |
| 2. आत्म विश्वास में वृद्धि | 16 (28.57) | 38 (67.87) | 18 (31.58) | 39 (68.42) | 27 (49.09) | 28 (50.91) | 35 (58.33) | 25 (41.67) | 40 (78.43) | 11 (21.57) | 136 (48.75) | 141 (50.54) |
| 3. दबंगई में कमी | 36 (64.29) | 18 (32.14) | 35 (61.40) | 22 (38.60) | 54 (98.18) | 1 (1.82) | 21 (35.00) | 39 (65.00) | 27 (52.94) | 24 (47.06) | 173 (62.01) | 104 (37.28) |
| 3. कर्ज लेने में आसानी | 39 (69.64) | 15 (26.79) | 16 (28.07) | 41 (71.93) | 40 (72.73) | 15 (27.27) | 23 (38.33) | 37 (61.67) | 17 (33.33) | 34 (66.67) | 135 (48.49) | 142 (50.90) |
| 5. जानवरों को पालने में सहायता | 15 (26.79) | 39 (69.64) | 17 (29.82) | 40 (70.18) | 40 (72.73) | 15 (27.27) | 43 (71.67) | 17 (28.33) | 40 (78.43) | 11 (21.57) | 155 (55.56) | 122 (43.73) |
| 6. पक्का मकान बनाया | 13 (23.21) | 41 (73.21) | 36 (63.16) | 21 (36.84) | 55 (100.0) | – | 18 (30.00) | 42 (70.00) | 43 (84.31) | 8 (15.69) | 165 (59.14) | 112 (40.14) |
| 7. स्वास्थ्य में सुधार | 40 (71.43) | 14 (25.00) | 29 (50.88) | 28 (49.12) | 51 (92.73) | 4 (7.27) | 35 (58.33) | 25 (41.67) | 32 (62.75) | 19 (37.25) | 187 (67.03) | 90 (32.25) |
| 8. बच्चों की शिक्षा में सुधार | 23 (41.07) | 31 (55.36) | 30 (52.63) | 27 (47.37) | 53 (96.36) | 2 (3.64) | 38 (63.33) | 22 (36.67) | 21 (41.18) | 30 (58.82) | 165 (59.14) | 112 (40.14) |

## 13. भूमि आवंटन प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार व सुझाव :

हमने लाभार्थियों से यह जानने का प्रयास किया कि क्या भूमि आवंटन पात्र व्यक्तियों को हुआ है? क्या भूमि आवंटन के बाद आवण्टी भूमि को बेच रहें हैं? क्या भूमि प्रबन्धक कमेटी द्वारा भेदभाव किया जाता है? भूमि आवंटन प्रक्रिया को किस तरह सुगम बनाया जा सकता है? इस सम्बन्ध में लाभार्थियों के सुझावों को तालिका संख्या–16 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या–16 भू–आवंटन प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार व सुझाव

| विचार / सुझ | लखीमपुर | | हरदोई | | सुल्तानपुर | | एटा | | झांसी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % | संख्या | % |
| **भू आवंटन वांछनीय लोगों को हुआ है।** | | | | | | | | | | | | |
| हॉ | 48 | 85.71 | 53 | 92.98 | 51 | 92.73 | 58 | 96.67 | 47 | 92.16 | 257 | 92.11 |
| नहीं | 8 | 14.29 | 4 | 7.02 | 4 | 7.27 | 2 | 3.33 | 4 | 7.84 | 22 | 7.89 |
| कुल | 56 | 100.0 | 57 | 100.0 | 55 | 100.0 | 60 | 100.00 | 51 | 100.0 | 279 | 100.0 |
| **भूमि प्रबन्धक कमेटी भेदभाव करती है ?** | | | | | | | | | | | | |
| हॉ | 16 | 28.57 | 14 | 24.57 | 8 | 14.55 | 3 | 5.00 | 4 | 7.84 | 45 | 16.13 |
| नहीं | 40 | 71.43 | 43 | 75.43 | 47 | 85.45 | 57 | 95.00 | 47 | 92.16 | 235 | 83.87 |
| **आवंटन के बाद आवंटी भूमि बेच रहे हैं ?** | | | | | | | | | | | | |
| हॉ | 15 | 26.79 | 19 | 33.33 | 21 | 38.18 | 5 | 8.33 | 2 | 3.92 | 62 | 22.22 |
| नहीं | 41 | 73.21 | 38 | 66.67 | 34 | 61.82 | 55 | 91.67 | 49 | 96.08 | 217 | 77.78 |
| **भूमि आवंटन के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के सुझाव** | | | | | | | | | | | | |
| कृषि योग्य भूमि का आवंटन | 16 | 28.57 | 10 | 17.54 | 34 | 61.82. | 29 | 48.3 | 37 | 72.55 | 126 | 45.16 |
| भौतिक कब्जा पट्टे के साथ मिले | 33 | 50.93 | 26 | 45.61 | 37 | 27.27 | 18 | 30.00 | 16 | 31.37 | 130 | 46.59 |
| आवंटी के चयन में उच्च अधिकारी मौजूद रहें | 21 | 37.50 | 21 | 36.84 | 30 | 54.55 | 23 | 38.33 | 17 | 33.33 | 112 | 40.14 |
| भूमि प्रबन्धक कमेटी की मनमानी पर रोक | 27 | 48.21 | 20 | 35.09 | 30 | 54.55 | 38 | 63.33 | 21 | 41.18 | 136 | 48.75 |
| कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु आर्थिक सहायता | 12 | 21.43 | 19 | 33.33 | 17 | 30.91 | 26 | 43.33 | 32 | 62.75 | 106 | 37.99 |
| आवंटित भूमि एक स्थान पर दी जाय | 18 | 32.14 | 12 | 21.05 | 7 | 12.73 | 9 | 15.00 | 30 | 58.82 | 76 | 27.24 |
| भ्रष्ट्राचार पर रोक | 9 | 16.07 | 29 | 50.88 | 43 | 78.18 | 16 | 26.67 | 18 | 35.29 | 115 | 41.22 |
| पात्र व्यक्ति को भू आवंटन | 23 | 41.07 | 31 | 54.39 | 20 | 36.36 | 16 | 26.67 | 20 | 39.22 | 110 | 39.43 |
| आवंटित भूमि को बेचने पर रोक | 10 | 17.86 | 12 | 21.05 | 8 | 14.55 | 9 | 15.00 | 12 | 23.53 | 51 | 18.28 |

तालिका से स्पष्ट है कि हमारे लगभग 8.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन और लगभग 16.0 प्रतिशत लाभार्थियों ने भूमि प्रबन्धक कमेटी द्वारा भेदभाव करने की बात को स्वीकारा है। यह चिन्ता का विषय है कि सामाजिक न्याय व गरीबी उन्मूलन की दर्षिट से किये गये भूमि आवंटन को कुछ आवन्टी कलंकित कर रहे हैं क्योंकि हमारे लगभग 22.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि भूमि में भौतिक कब्जा व पट्टा मिलने के बावजूद आवन्टी लोग आवन्टित भूमि को बेच रहें हैं। लखीमपुर, हरदोई व सुल्तानपुर में आवंटित भूमि को बेचने की प्रवृत्ति अधिक देखी गयी है और भूमि आवंटन में अपात्र व्यक्तियों का प्रतिशत भी इन्हीं जिलों में अधिक है।

भूमि आवंटन की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए हमारे चयनित लाभार्थियों ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। लगभग 45.0 प्रतिशत लाभार्थियें ने अवगत कराया कि कृषि योग्य भूमि को आवंटित किया जाय क्योंकि उबड़ खाबड़, बंजर, ऊसर व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आवंटित भूमि को लाभार्थी अपनी निर्धनता के कारण कृषि योग्य बनाने में असमर्थ रहता है। झांसी, एटा व सुल्तानपुर के अधिकतर आवंटियों ने इस बात की पुष्टि की है। कृषि योग्य भूमि न होने के कारण सुल्तानपुर के 15 व झांसी के 5 आवंटी जमीन का भौतिक कब्जा मिलने पर भी खेती नहीं कर पा रहें हैं और खेत बंजर पड़े हैं।

लगभग 47.0 प्रतिशत उत्तरदाता पट्टा व जमीन का भौतिक कब्जा एक साथ देने का सुझाव देते हैं क्योंकि पट्टा तो पहले मिल जाता है लेकिन जमीन दूसरे के कब्जे में होने के कारण विवाद पैदा होता है। लखीमपुर के लगभग 51.0 प्रतिशत तथा हरदोई के लगभग46.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात की पुष्टि करते हैं। लगभग 40.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवगत कराया कि जिस समय आवन्टी का चयन किया जाय उस समय जिले का बड़ा अधिकारी मौजूद रहना चाहिए क्योंकि भूमि प्रबन्ध कमेटी के द्वारा मनमानी की जाती है, विशेषकर प्रधान जो कि भूमि प्रबन्ध कमेटी का अध्यक्ष होता है वह अपने नातेदारों व अपने पक्ष के लोगों का चयन करता है जबकि पात्र व्यक्ति चयन से बाहर जो जाते हैं।

हमारे चयनित लगभग 38.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आवंटित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार से अधिक सहायता देने की बात की है क्योंकि ऊसर भूमि में पैदावार बढ़ाने के लिये जिप्सम व ढैंचा की आवश्यकता होती है, इसके साथ–2 सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि आवन्टी अपने साधनों से सिंचाई व्यवस्था नही कर पाते हैं।

सामान्यतः आवंटित भूमि एक ही जगह न होकर अलग–2 स्थानों पर दी जाती है जिसमें खेती की देखभाल करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए चयनित लगभग 27.0 प्रतिशत ा ार्थी आवंटित भूमि को एक ही जगह पर देने की बात करते हैं।

हमारे चयनित लाभार्थियों ने अवगत कराया कि जिस व्यक्ति को भी सीलिंग व ग्राम समाज की भूमि वितरित की जाती है उनसे 2500–5000 रूपये तक प्रधान व लेखपाल घूस लेते हैं। इसके साथ–2 जमीन की गुणवता पर भी घूस की सीमा निर्भर करती है, और जमीन का पूरा कब्जा न मिलना भी भ्रष्ट्राचार पर आधारित है हमारे लगभग 41.0 प्रतिशत उत्तरदाता भ्रष्ट्राचार पर रोक लगाने की बात करते हैं क्योंकि एक भूमिहीन व्यक्ति कर्ज लेकर घूस की आपूर्ति करता है।

हमारे अध्ययन के लगभग 18.0 प्रतिशत उत्तरदाता आवंटित भूमि को बेचने पर रोक लगाने की बात करते हैं। गांवों में उत्तरदाताओं से अवगत हुआ कि जहां एक ओर प्रधान अपने परिवार के सदस्यों के नाम भूमि आवंटन कर देता है वहीं दूसरी ओर लेखपाल द्वारा फर्जी नामों से भूमि आवंटन किया जाता है। लेखपाल व प्रधान फर्जी नाम से आवंटित भूमि को अपने लाभ के लिए धीरे–2 बेच देते हैं। इसके अलावा शादी–ब्याह, मादक पदार्थों का सेवन व बीमारी के कारण आवंटी जमीन को बेच देते हैं जिस पर रोक लगनी चाहिए।

## 14. निष्कर्ष एवं सुझाव :

भूख व गरीबी निवारण के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसमें भूमिहीन, सीमान्त व लघु कृषकों की बहुलता है उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कार्यक्रम एक कारगर हथियार रहा है। हमारे अध्ययन के अनुसार भी भूमि आवंटन के अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जैसे एक ओर जहॉ अधिकतर लोगों को भूमि आवंटन का पट्टा समय से मिला, शुद्ध उत्पादन मूल्य में वृद्धि, लाभार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के रोजगार दिवसों में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा व आत्मविश्वास में वृद्धि, कर्ज लेने में आसानी, दबंगई कम होना, जानवरों का पालने में सहायता तथा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार हुआ है वहीं दूसरी ओर भूमि आवंटन प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां भी पायी गयी हैं। जैसे चयन प्रक्रिया में आवंटित भूमि पर भौतिक कब्जा समय से व पूरा कब्जा न मिलना, लवणयुक्त व उबड़–खाबड़ भूमि का आवंटन, कागजी कार्यवाही में दौड़ भाग, प्रशासनिक सहायता न मिलना, पुराने कब्जेदारों द्वारा प्रताड़ना, घूस की मांग, भूमि प्रबन्ध कमेटी द्वारा भेदभाव, तथा आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि के कुछ भाग को बेचना आदि। कुल मिलाकर कुछ

कमियां होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कार्यक्रम सफल रहा है। भूमि आवंटन प्रक्रिया में जो त्रुटियां रह गयी हैं उनको निम्नलिखित सुझावों के माध्यम से अधिक सुगम व सरल बनाया जा सकता है।

1. सामान्यतः आवंटियों को उबड़–खाबड़, पथरीली लवणयुक्त व बाढ़ प्रभावित भूमि का आवंटन किया जाता है जिसमें गरीब आवंटी द्वारा खेती करना मुश्किल होता है अतः गरीबों को कृषि हेतु विकसित भूमि का आवंटन करना चाहिए।

2. आवंटित भूमि में गांव के दबंगों व प्रभावशाली लोगों का कब्जा रहता है अतः इन लोगों के कब्जे से भूमि को छुड़ाकर भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि लाभार्थी अनावश्यक विवाद में न फंसे।

3. लाभार्थी को भूमि का आवंटन एक ही जगह पर होना चाहिए ताकि लाभार्थी फसल की देखभाल ठीक से कर सके।

4. आवंटियों को आवंटन पट्टा व आवंटित भूमि में भौतिक कब्जा एक साथ मिलना चाहिए क्योंकि आवंटियों को पट्टा मिलने के बाद भी भौतिक कब्जा मिलने में काफी समय लगता है।

5. भूमि प्रबन्ध कमेटी भेदभाव न करे इसके लिए भूमि प्रबन्ध कमेटी में जिले व तहसील के बड़े अधिकारी को शामिल करना चाहिए ताकि फर्जी व अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन न हो सके।

6. सर्वेक्षण के समय ज्ञात हुआ कि प्रधान व लेखपाल द्वारा भूमि आवंटन के बदले घूस की मांग की जाती है। गरीब आवंटी कर्ज लेकर इसकी भरपाई करते हैं और आवंटी भूमि आवंटन से पूर्व कर्जदार बन जाता है। अतः भूमि आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए।

7. लवणयुक्त आवंटित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का निशुल्क वितरण और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

8. आवंटित भूमि को कुछ आवंटी बेच रहे हैं इस पर पूर्ण रोक लगानी चाहिए।

9. भूमि आवंटन के बाद तहसील स्तर के अधिकारी द्वारा अनुश्रवण/फौलोअप का कार्य करते रहना चाहिए ताकि गरीबों की आय व रोजगार में वृद्धि हेतु किये जा रहे भूमि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय की कल्पना को साकार कर ग्रामीण क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोका जा सके।

# सन्दर्भ

1. आर.के.शर्मा, अनिल कुमार एण्ड एस.के.चौहान, इम्पैक्ट ऑफ लैण्ड रिफार्म ऑन फार्म प्रोडक्शन, कुरूक्षेत्र, वाल्यूम XLI, नं05, फरवरी, 1993।

2. ए. के. सिंह, डी.के. बाजपेयी एण्ड पी.एस.गढ़िया, एलोटिंग गांव सभा लैण्ड फार पावर्टी एलिवेशन, कुरूक्षेत्र, वाल्यूम XLI, नं05, फरवरी, 1993 ।

3. उत्तर प्रदेश डैवलपमेंट रिपोर्ट वाल्यूम–2, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2007।

4. इण्डिया 2006, रिसर्च, रिफ्रेन्स एण्ड ट्रेनिंग डिविजन, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉड कास्टिंग, गनर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया।

5. जी.पी. मिश्रा, डी.एम.दिवाकर, लैण्ड रिफार्म एण्ड ह्यूमन डैवलपमेन्ट, मानक पब्लिकेशन प्रा0 लि0, न्यू दिल्ली, 2005।

6. जी.पी.मिश्रा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैण्ड एण्ड रूरल पुअर, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, न्यू दिल्ली, 1996।

7. टी. हक. एण्ड जी. पार्थसारथी लैण्ड रिफार्म रूरल डैवलपमेन्ट, हाईलाइट्स ऑफ 'ए नेशनल सेमीनार इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली, वाल्यमू XXVII, नं0 8, फरवरी 22, 1992।

8. प्लानिंग कमीशन रिपोर्टस, आर्टिकल्स, डा0 के. वैंकटसुब्रामणियम, स्पीचेज, 2004।

## उत्तर प्रदेश में ज़िलेवार भूमि आवंटन

| जिला | ग्राम समाज भूमि | | | | सीलिंग भूमि | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुसूचित जाति | | कुल | | अनुसूचित जाति | | कुल | |
| लखनऊ मंडल | सं0 | क्षेत्र (हे0) | सं0 | क्षेत्र (हे0) | सं0 | क्षेत्र (हे0) | सं0 | क्षेत्र (हे0) |
| खीरी | 44871 | 21040.978 | 119140 | 40048.058 | 13062 | 21472.00 | 19995 | 30625.00 |
| लखनऊ | 31727 | 13926.655 | 50693 | 21611.437 | 1952 | 1210.00 | 2738 | 1788.00 |
| सीतापुर | 35162 | 10229.444 | 67576 | 18640.987 | 9774 | 8917.00 | 13120 | 11849.00 |
| उन्नाव | 68205 | 24750.627 | 112884 | 40902.818 | 4459 | 3949.00 | 5250 | 4663.00 |
| हरदोई | 80955 | 27747.394 | 128160 | 49000.480 | 5481 | 4065.00 | 7027 | 5092.00 |
| रायबरेली | 74919 | 23194.469 | 109400 | 33049.920 | 4301 | 3206.63 | 5011 | 3727.03 |
| कुल | 335839 | 120889.567 | 587853 | 203253.700 | 39029 | 42819.63 | 53141 | 57744.03 |
| मेरठ मंडल | | | | | | | | |
| मेरठ | 20314 | 6450.735 | 27989 | 8740.680 | 1134 | 35.00 | 1522 | 541.00 |
| बागपत | 6649 | 1760.483 | 9243 | 2455.397 | 423 | 0.00 | 423 | 0.00 |
| गाज़ियाबाद | 16347 | 4611.611 | 25641 | 6762.320 | 51 | 27.71 | 51 | 27.71 |
| गौतम बुद्ध नगर | 5113 | 1955.11 | 8631 | 3529.684 | -- | -- | -- | -- |
| बुलन्दशहर | 31557 | 11625.909 | 52113 | 18615.910 | 1230 | 1078.00 | 1690 | 1583.00 |
| कुल | 79980 | 26403.848 | 123617 | 40103.991 | 2838 | 1140.71 | 3686 | 2151.71 |
| बरेली मंडल | | | | | | | | |
| बरेली | 30563 | 7259.852 | 61152 | 15433.172 | 4111 | 2887.00 | 6725 | 4262.00 |
| पीलीभीत | 13058 | 7198.689 | 21321 | 10695.976 | 2756 | 2841.00 | 4733 | 4551.00 |
| शाहजहाँपुर | 25885 | 10486.868 | 146311 | 18659.574 | 5072 | 5193.00 | 6957 | 7316.00 |
| बदायूं | 30603 | 8776.882 | 62036 | 20361.057 | 1820 | 965.00 | 2917 | 1618.00 |
| कुल | 100109 | 33722.291 | 290820 | 65149.779 | 13759 | 11886.00 | 21332 | 17747.00 |
| कानपुर मंडल | | | | | | | | |
| कानपुर | 29083 | 5571.384 | 54187 | 11893.706 | 2754 | 1339.00 | 3297 | 1722.00 |
| कानपुर देहात | 31616 | 9455.804 | 67951 | 19353.146 | 2197 | 1101.00 | 2691 | 1315.00 |
| फरूर्खाबाद | 19509 | 10118.148 | 46067 | 21981.258 | 702 | 660.00 | 1150 | 1036.00 |
| कन्नौज | 27002 | 5402.735 | 54172 | 10396.710 | 948 | 668.00 | 1382 | 1032.00 |
| इटावा | 19763 | 7480.133 | 35574 | 11205.754 | 1003 | 455.00 | 1349 | 704.00 |
| औरैया | 23259 | 7299.709 | 48632 | 16855.730 | -- | -- | -- | -- |
| कुल | 150232 | 45327.913 | 306583 | 91686.304 | 7604 | 4223.00 | 9869 | 5809.00 |
| सहारनपुर मंडल | | | | | | | | |
| सहारनपुर | 24403 | 7686.198 | 32151 | 10471.259 | 5359 | 2949.55 | 6790 | 3806.43 |
| मुजफ्फरनगर | 53770 | 3350.548 | 75685 | 45299.089 | 3280 | 2583 | 4467 | 3525.00 |
| कुल | 78173 | 11036.746 | 107836 | 55770.348 | 8639 | 5532.55 | 11257 | 7331.43 |

| आगरा मंडल | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एटा | 42681 | 23643.177 | 84710 | 44110.206 | -- | -- | -- | -- |
| आगरा | 27561 | 8668.760 | 49676 | 15391.733 | 780 | 578.00 | 1102 | 792.00 |
| फिरोजाबाद | 21199 | 8189.172 | 61217 | 21594.705 | 903 | 954.72 | 1321 | 1232.68 |
| मैनपुरी | 23466 | 8865.570 | 56526 | 20048.306 | 742 | 679.00 | 1140 | 1023.00 |
| मथुरा | 20190 | 7775.456 | 27557 | 11611.283 | 1978 | 1953.10 | 2453 | 2473.10 |
| अलीगढ़ | 38426 | 13093.640 | 76299 | 27388.996 | 3606 | 2188.00 | 4375 | 2731.00 |
| हाथरस | 19721 | 6010.578 | 33590 | 13354.805 | 1066 | 670.00 | 1467 | 871.00 |
| कुल | 193244 | 76246.353 | 389575 | 153500.034 | 9075 | 7022.82 | 11858 | 9122.78 |
| मुरादाबाद मंडल | | | | | | | | |
| रामपुर | 7978 | 2450.618 | 23523 | 7621.877 | 954 | 875.57 | 1831 | 1695.69 |
| जे0पी0 नगर | 16022 | 3604.894 | 26583 | 7073.818 | 1302 | 1101.21 | 1918 | 1542.01 |
| मुरादाबाद | 23240 | 6002.306 | 39160 | 10780.158 | 339 | 2474.44 | 1953 | 3757.77 |
| बिजनौर | 29742 | 12357.662 | 46347 | 18579.254 | 4559 | 3974.65 | 7262 | 6733.78 |
| कुल | 76982 | 24415.480 | 135613 | 44055.107 | 7154 | 8425.87 | 12964 | 13729.25 |
| फैजाबाद मंडल | | | | | | | | |
| फैजाबाद मंडल | 41381 | 7702.791 | 67749 | 12658.996 | 4975 | 3093.00 | 6846 | 4254.00 |
| अम्बेदकर नगर | 25964 | 3640.287 | 39996 | 5674.287 | -- | -- | -- | -- |
| सुल्तानपुर | 75997 | 14108.797 | 122733 | 22530.869 | 3766 | 2426.30 | 5199 | 3424.66 |
| बाराबंकी | 68828 | 17078.974 | 105124 | 28204.588 | 4088 | 3238.00 | 5302 | 4248.00 |
| कुल | 212170 | 42530.849 | 335602 | 69068.740 | 12829 | 8757.30 | 17347 | 11926.66 |
| देवीपतन मंडल | | | | | | | | |
| गोण्डा | 34218 | 8156.158 | 66533 | 15543.934 | 5452 | 5665.00 | 8600 | 8138.00 |
| बलरामपुर | 12496 | 3043.956 | 28303 | 6770.628 | 3179 | 3009.00 | 4658 | 3959.00 |
| बहराइच | 29852 | 16039.560 | 68150 | 32989.537 | 8952 | 8093.00 | 16359 | 14122.00 |
| श्रावस्ती | 7580 | 3125.820 | 15029 | 5558.837 | 4468 | 4053.00 | 8057 | 9873.00 |
| कुल | 84146 | 30365.494 | 178015 | 60862.936 | 22051 | 20820.00 | 37674 | 36092.00 |
| गोरखपुर मंडल | | | | | | | | |
| गोरखपुर | 25402 | 3236.705 | 42582 | 6072.321 | 3483 | 2292.00 | 5835 | 3611.00 |
| महाराजगंज | 20464 | 2707.469 | 33652 | 4436.477 | 6718 | 3042.17 | 11282 | 4824.06 |
| देवरिया | 14729 | 2494.661 | 24065 | 4077.929 | 890 | 500.90 | 1430 | 751.11 |
| कुशीनगर | 19748 | 3608.279 | 30578 | 5219.908 | 8085 | 4662.57 | 15593 | 7734.75 |
| कुल | 80343 | 12047.114 | 130877 | 19806.635 | 19176 | 10497.64 | 34140 | 16920.92 |
| बस्ती मंडल | | | | | | | | |
| बस्ती | 17230 | 5311.583 | 29662 | 9387.178 | 1633 | 772.56 | 2974 | 1488.32 |
| संत कबीर नगर | 11236 | 1593.931 | 21735 | 3338.690 | 937 | 479.00 | 1641 | 900.00 |
| सिद्धार्थनगर | 26938 | 4808.686 | 53073 | 9071.605 | 2327 | 1309.00 | 3991 | 2502.00 |
| कुल | 55404 | 11714.200 | 104470 | 21797.473 | 4897 | 2560.56 | 8606 | 4890.32 |

| आज़मगढ़ मंडल | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आज़मगढ़ | 66389 | 9865.025 | 110378 | 16045.930 | 1317 | 753.00 | 1913 | 1086.00 |
| बलिया | 24401 | 3823.155 | 37818 | 6026.941 | 2171 | 1705.00 | 3158 | 2499.00 |
| मऊ | 22765 | 4985.904 | 32457 | 6692.837 | 1031 | 403.00 | 1371 | 605.00 |
| कुल | 113555 | 18674.084 | 180653 | 28765.708 | 4519 | 2861.00 | 6442 | 4190.00 |
| मिर्ज़ापुर मंडल | | | | | | | | |
| मिर्ज़ापुर | 34553 | 16764.716 | 47874 | 21047.253 | 5319 | 7821.78 | 6479 | 9931.08 |
| सोनभद्र नगर | 26330 | 8923.15 | 35249 | 12457.910 | 3114 | 4660.97 | 3945 | 5929.78 |
| संत रविदास नगर | 19453 | 2876.177 | 28217 | 4220.687 | 430 | 174.00 | 566 | 2 14.00 |
| कुल | 80336 | 28564.043 | 111340 | 37725.850 | 8863 | 12656.75 | 10990 | 16074.86 |
| वाराणसी मंडल | | | | | | | | |
| वाराणसी | 24453 | 3302.151 | 36155 | 4682.635 | 335 | 116.24 | 433 | 239.44 |
| चन्दौली | 15455 | 1970.825 | 17988 | 2941.174 | 905 | 239.24 | 1210 | 337.24 |
| जौनपुर | 81438 | 9210.062 | 115144 | 16311.101 | 2220 | 1023.43 | 2986 | 1381.64 |
| गाज़ीपुर | 41017 | 5950.486 | 60448 | 9651.406 | 1061 | 551.00 | 1476 | 704.00 |
| कुल | 162363 | 20433.524 | 229735 | 33586.316 | 4521 | 1929.91 | 6105 | 2662.32 |
| झांसी मंडल | | | | | | | | |
| झांसी | 27067 | 23573.501 | 49092 | 34373.923 | 2525 | 2887.41 | 3472 | 3951.81 |
| जालौन | 13065 | 7950.777 | 18300 | 13514.215 | 2578 | 3055.00 | 3120 | 3676.00 |
| ललितपुर | 50025 | 51876.777 | 90296 | 91655.494 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| कुल | 90157 | 83401.055 | 157688 | 139543.632 | 5103 | 5942.41 | 6592 | 7627.81 |
| चित्रकूट मंडल | | | | | | | | |
| बांदा | 21203 | 1424.276 | 41203 | 12074.505 | 5801 | 6488.00 | 8303 | 9227.00 |
| हमीरपुर | 11774 | 9338.914 | 21705 | 15612.518 | 2868 | 4320.00 | 4337 | 6369.00 |
| महोबा | 10779 | 8278.322 | 21427 | 14218.582 | 1505 | 2852.21 | 2305 | 4280.14 |
| चित्रकूट | 18633 | 13150.025 | 30649 | 20122.991 | 1581 | 2787.08 | 2432 | 4465.87 |
| कुल | 62389 | 32191.537 | 114984 | 62028.596 | 11755 | 16447.29 | 17377 | 24342.01 |
| इलाहाबाद मंडल | | | | | | | | |
| इलाहाबाद | 216 | 48.550 | 338 | 102.140 | – | – | – | – |
| कौशाम्बी | 30606 | 5732.487 | 47682 | 9127.695 | 882 | 587.00 | 1100 | 731.00 |
| प्रतापगढ़ | 36382 | 8175.871 | 59741 | 12657.452 | 11647 | 1628.00 | 11965 | 1905.00 |
| फतेहपुर | 54248 | 11592.597 | 89773 | 19903.855 | 5112 | 2704.89 | 6947 | 3525.49 |
| कुल | 121452 | 25549.505 | 197534 | 41791.142 | 17641 | 4919.89 | 20012 | 6161.49 |
| महायोग | 2076874 | 643513.603 | 3682795 | 1168496.29 | 199453 | 168443.33 | 289392 | 244523.59 |